IIT Delhi

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
MINISTRY OF
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

उन्नत भारत अभियान
UNNAT BHARAT ABHIYAN

उन्नत भारत अभियान 2.0
UNNAT BHARAT ABHIYAAN 2.0

(देश के प्रतिष्ठित उच्चतर शिक्षा संस्थानों को स्वदेशी विकास के अंतर्गत ग्राम.समूहों द्वारा आत्म–निर्भरता एवं संपोषण की स्थिति प्राप्त करने की प्रक्रिया में सम्मिलित करना)

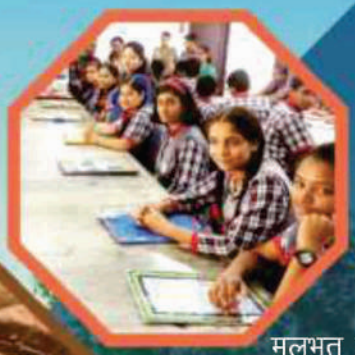

मूलभूत सुविधाएँ

कारीगर, उद्योग और आजीविका

जल प्रबन्धन

अक्षय ऊर्जा

जैविक खेती

राष्ट्रीय समंवयक संस्थान
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली

उच्चतर शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
का कार्यक्रम

उन्नत भारत अभियान
Unnat Bharat Abhiyan

उन्नत भारत अभियान
Unnat Bharat Abhiyan
A Movement for Prosperous India
IIT Delhi

संदेश

उन्नत भारत अभियान, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध करने हेतु गढ़ा गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम द्वारा देश के शीर्ष संस्थानों द्वारा अर्जित ज्ञान एवं संसाधनों की बहुमूल्य पूंजी का भरपूर लाभ ग्रामीण विकास प्रक्रिया में रूपांतरकारी परिवर्तन लाने में उठाया जा सकेगा। इसका एक लक्ष्य समाज और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मध्य ऐसा जीवंत संबंध स्थापित करना भी है जिससे कि ऐसे संस्थान ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका और अंततः ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेहतरी लाने तथा सार्वजनिक एवं निजी, दोनों तरह के, संगठनों की क्षमताओं में बढ़ोत्तरी लाने के लिए यथोचित ज्ञान आधारित एवं प्रौद्योगिकी स्तर की सहायता प्रदान कर सकें।

उन्नत भारत अभियान 2.0 के अंतर्गत योजना का विस्तार करते हुए *"चुनौती–प्रणाली"* को अपनाते हुए देश भर से सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से 750 प्रतिष्ठित उच्चतर शिक्षा संस्थानों को चयनित किया गया है। साथ ही *"विषय विशेषज्ञ समूहों"* एवं *"क्षेत्रीय समंवयक संस्थानों"* द्वारा प्रतिभागी संस्थानों का सुचारू रूप से मार्गदर्शन करने की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया है। 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली' को इस कार्यक्रम के 'राष्ट्रीय समंवयक' के रूप में चुना गया है और मंत्रालय की योजना चरणबद्ध रूप में कार्यक्रम का विस्तार देश के सभी प्रतिष्ठित उच्चतर शिक्षा संस्थानों तक करने की है। प्रत्येक चयनित संस्थान ग्रामों/पंचायतों के समूह को अंगीकार करेगा और समय के साथ अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करता रहेगा।

संस्थान, अपने संकाय एवं विधार्थियों के माध्यम से अंगीकृत गाँवों में जीवन की वास्तविक स्थितियों का अध्ययन करते हुए वहां की स्थानीय जरूरतों एवं समस्यायों को चिंहित करके, प्रौद्योगिकी के उचित उपयोग से समाधान जुटाने, एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं को अमल में लाने की प्रक्रिया में आवश्यक सुधार लाने की संभावनायें खोजेगा और चयनित गाँवों के लिए व्यावहारिक कार्य योजना तैयार करेगा। इस प्रकार ऐसे ज्ञान निवेश ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण कार्य में अपनी भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। संस्थानों से अपेक्षित है कि वे जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभाओं के चुने हुए जन–प्रतिनिधियों और ग्राम्य–विकास के अन्य हितधारकों के साथ निकट समंवय स्थापित करते हुए ग्रामीण विकास की योजना और इसके अमलीकरण की सम्पूर्ण प्रकिया के सक्रिय सहयोगी बनेंगे।

इस प्रक्रिया में चयनित संस्थानों के संकाय सदस्य एवं विधार्थीगण ग्रामीण भारत की वास्तविकताओं से परिचित होकर उससे सीधे तौर पर जुड़ सकेंगें और उनके द्वारा अर्जित ज्ञान एवं शोध संपदा का समुचित एवं सार्थक उपयोग समाज के व्यापक हित में हो सकेगा।

प्रकाश जावडेकर
केन्द्रीय मंत्री
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार

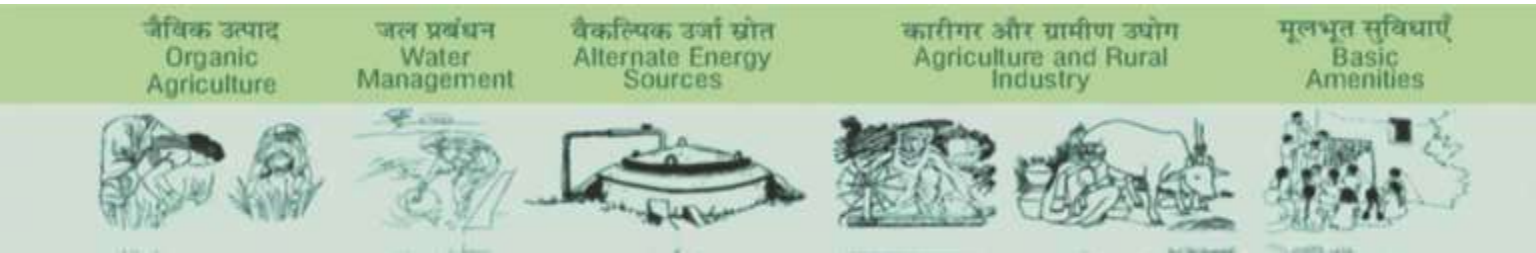

उन्नत भारत अभियान 2.0

विषय सूची

1. पृष्ठभूमि एवं आवश्यकता 1

2. दूरदृष्टि, ध्येय एवं उद्देश्य 3

3 कार्य अवसर के प्रमुख क्षेत्र 4

4. संरचनात्मक संघ 5

5. कार्यान्वयन 6

   5.1 कार्यनीति 6

   5.2 संस्थानों का चयन और आगामी प्रक्रिया 7

   5.3 'उन्नत भारत अभियान' के विभिन्न हितधारकों की भूमिका 9

6. कार्य योजना प्रारूप निर्माण 15

7. उन्नत भारत अभियान के अन्तर्गत कुछ सहभागी संस्थानों (PIs) का क्षेत्र अनुभव 17

संलग्नक I : कार्यालय ज्ञापन 39

संलग्नक II : विषय विशेषज्ञ समूहों (SEGs) का विवरण 40

संलग्नक III : राष्ट्रीय संचालन समिति 41

संलग्नक IV : मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जिला कलेक्टर को पत्र 42

संलग्नक V : ग्राम सर्वेक्षण प्रपत्र 43

संलग्नक VI : आधाररेखा घरेलू सर्वेक्षण प्रपत्र 46

संलग्नक VII : क्षेत्रीय समंवयक संस्थान सूची 51

सहभागी संस्थानों की सूची (2017–18) – कृपया निम्नलिखित वेबसाइट लिंक देखें –

http://unnatbharatabhiyan.gov.in

1. पृष्ठभूमि एवं आवश्यकता

जैसा कि महात्मा गांधी ने बीसवीं सदी के पहले दशक में रची अपनी प्रभावशाली किताब "हिन्द स्वराज" में ही इंगित कर दिया था - केंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों एवं शहरीकरण पर पूर्णतः आधारित पाश्चात्य विकास की अवधारणा ने लगातार बढ़ती ही जाती सामाजिक असमानता और तेजी से गिरावट की और अग्रसर पारिस्थिकीय संतुलन के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं को बढ़ावा दिया है। इन समस्याओं के निवारण हेतु यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास आत्मनिर्भर 'ग्रामीण गणतंत्र' पर आधारित गांधीवादी दूरदृष्टि का अनुसरण करते हुए हो जिससे कि स्थानीय संसाधनों, विकेन्द्रीकृत, और पारिस्थितिकी के अनुकूल प्रौद्योगिकियों का उपयोग इस तरह से किया जा सके कि खाद्य, कपड़ा, मकान, स्वच्छता, स्वास्थ्य, ऊर्जा, आजीविका, परिवहन और शिक्षा आदि की पूर्ति स्थानीय स्तर पर ही संपन्न हो जाए।

वर्तमान में भारत की लगभग 70% आबादी गाँवों में वास करती है। यूं तो कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्र आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था कुल ग्रामीण कार्यबल के 51% भाग को कार्य प्रदान करती है लेकिन देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी केवल 17% की ही है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में बहुत बड़ी असंबद्धता और विसंगतियां बनी हुयी हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, मूलभूत सुविधाओं और रोजगार के अवसरों में स्पष्ट असमानताओं के कारण न केवल अंसतोष व्याप्त हुआ है, वरन बहुत बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की और पलायन करते रहे हैं, और कर रहे हैं। तेजी से बढ़ता शहरीकरण न तो दीर्घकालिक उपयोगी ही सिद्ध होता है और न ही यह वांछनीय समाधान प्रस्तुत करता है। इस नाते सतत एवं दीर्घकालिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकने वाले विकास की अति–आवश्यकता को अत्यंत तीव्रता से वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा रहा है। ऐसे विकास को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पारिस्थितिकी के अनुकूल तौर–तरीके अपनाने और सुयोग्य कामकाज के अवसर जुटाने की महत्ती आवश्यकता है।

अभी तक हमारे उच्चतर शिक्षा संस्थान मुख्यतः मुख्य धारा से सम्बंधित औधौगिक क्षेत्रों की और ही उन्मुख रहे हैं और चंद अपवादों को छोड़कर मुश्किल से ही किसी ने ग्रामीण विकास में किसी तरह का कोई प्रत्यक्ष योगदान दिया है। अलबत्ता उनके पास ग्रामीण जन समूह के जीवन स्तर में उल्लेखनीय गुणवत्ता लाने के कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए ज्ञान और संसाधनों की संपदा अवश्य उपस्थित है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों के इस सामर्थ्य के ग्रामीण विकास में यथोचित उपयोग की संभावना और इस सहभागिता के तरीके खोजने के उद्देश्य से ही 'उन्नत भारत अभियान' (UBA) की कल्पना की गई है।

"उन्नत भारत अभियान" की अवधारणा की कल्पना सर्वप्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, दिल्ली के समर्पित संकाय सदस्यों, जो कि ग्रामीण विकास एवं इसके लिए सुयोग्य प्रौद्योगिकियों के विकास कार्य में जुटे हुए थे, की पहल पर की गई। तत्पश्चात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में 2014 के सितंबर माह में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लेने आये हुए बहुत से तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधियों, ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्यवाही समूह ((RuTAG) समंवयकों, और ग्रामीण विकास के कार्य से जुड़े हुए सरकारी एवं स्वयंसेवी संगठनों, से विस्तृत एवं गहन विचार विमर्श करके "उन्नत भारत अभियान" के विचार को और ज्यादा विकसित करके इसकी रूपरेखा को ठोस आकार दिया गया। अंततः 11 नवम्बर, 2014 को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माननीय केन्द्रीय मंत्री द्वारा "उन्नत भारत अभियान" का औपचारिक शुभारंभ किया गया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को "उन्नत भारत अभियान (UBA)" के 'राष्ट्रीय समंवयक संस्थान' के रूप में नियुक्त किया गया है। इस वृहद अभियान को देश भर में सुचारू रूप से लागू करने के लिए अनेक अन्य शीर्ष संस्थानों जैसे कि IITs, IISC, IIMs, NITs और CUs (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों) आदि, जिनके पास पहले से ही ग्रामीण विकास कार्यों के लिए आधारभूत ज्ञान एवं संरचनात्मक ढांचा और पर्याप्त एवं उचित अनुभव है, को 'क्षेत्रीय समंवयक संस्थानों' के रूप में चिंहित किया गया है, जिससे कि वे अपने–अपने क्षेत्रों में केन्द्रीय संस्थान के रूप में कार्य करते हुए वहां उपस्थित अन्य विभिन्न

सुयोग्य संस्थानों की पहचान करके उन्हें उनकी क्षमतानुसार कार्य सौंप कर उनका मार्गदर्शन, उनके मध्य समंवय एवं उनके द्वारा किये कार्य का निरीक्षण कर सकें।

2. दूरदृष्टि (Vision), ध्येय (Mission) एवं उद्देश्य (Objectives)

दूरदृष्टि :

स्वदेशी विकास के माध्यम से ग्राम समूहों को आत्म–निर्भरता एवं संपोषण की अवस्था प्राप्त कराने की प्रक्रिया में देश के प्रतिष्ठित उच्चतर शिक्षा संस्थानों(तकनीकी/गैर तकनीकी/सार्वजनिक/निजी) को सम्मिलित करना।

ध्येय :

'उन्नत भारत अभियान' उपर्युक्त दूरदृष्टि के अनुरूप चल कर निम्नलिखित ध्येयों को साधने का प्रयास करेगा :

- क्षेत्र स्तर पर प्रभावी कार्य करने के लिए शैक्षिक संस्थानों, कार्यान्वयन संगठनों (जिला प्रशासन/पंचायती राज संस्थाओं) और जमीनी स्तर के हितधारकों के मध्य आवश्यक प्रक्रिया तंत्र एवं उपयुक्त समंवय विकसित करना।
- ग्रामीण जनसमूह के जीवन स्तर को उन्नत करने के आधारभूत लक्ष्य की पूर्ती में निर्णायक भूमिका निभाते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों एवं ज्ञान संपदा का यथोचित उपयोग करना। योग्य ग्रामीण समूहों का चयन करके, इन समूहों के समग्र विकास में ऐसे प्रभावी तरीके से सक्रिय भागीदारी करना जिससे, पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने वाली सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली प्रौद्योगिकियों और स्थानीय संसाधनों का भली भांति उपयोग किया जा सके, सरकारी बहुविध योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया जा सके और इन सब प्रक्रियाओं में रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित किये जा सकें।
- समग्र विकास लाने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रचलित शैक्षिक पाठ्यकर्मों और शोध कार्यो का इस तरह से पुनर्विन्यास करना जिससे वे स्थानीय आवश्यकताओं के और अधिक सुसंगत बन सकें।

उद्देश्य :

- उच्च शिक्षा संस्थानों के संकाय एवं छात्रों को ग्राम्य वास्तविकताओं से अवगत कराने के लिए उन्हें इस क्षेत्र से जोड़ना।

- स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप, विद्यमान अभिनव प्रौद्योगिकियों को पहचानना एवं चुनना, प्रौद्योगिकियों को अभीष्ट परिवर्तन के अनुकूलन के योग्य बनाना, अथवा अभिनव समाधानों लागू करने के लिए कार्यान्वयन युक्तियाँ बनाना।
- विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रक्रिया के विकास के लिए संस्थानों की ज्ञान संपदा का लाभ उठाना।

3. कार्य अवसर के प्रमुख क्षेत्र

गाँवों के समग्र विकास की ओर अग्रसर होने के लिए दो प्रमुख क्षेत्र - मानव विकास एवं सामग्री (आर्थिक) विकास, हैं, जिन्हें समेकित रूप से विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इन दो क्षेत्रों के प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं, और चित्र–1 में स्पष्टता से दर्शाए गए हैं :–

(क) मानव विकास

- स्वास्थ्य
- शिक्षा एवं संस्कृति
- मूल्य
- कौशल एवं उद्यमिता

(ख) सामग्री (आर्थिक) विकास

- जैविक खेती
- जल प्रबन्धन एवं संरक्षण
- अक्षय ऊर्जा स्रोत
- कारीगर एवं ग्राम्य उद्योग
- स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का विकास एवं दोहन
- मूलभूत सुविधाएँ
- ई– सहायता (सूचना प्रौद्योगिकी में सक्षम बनाना)

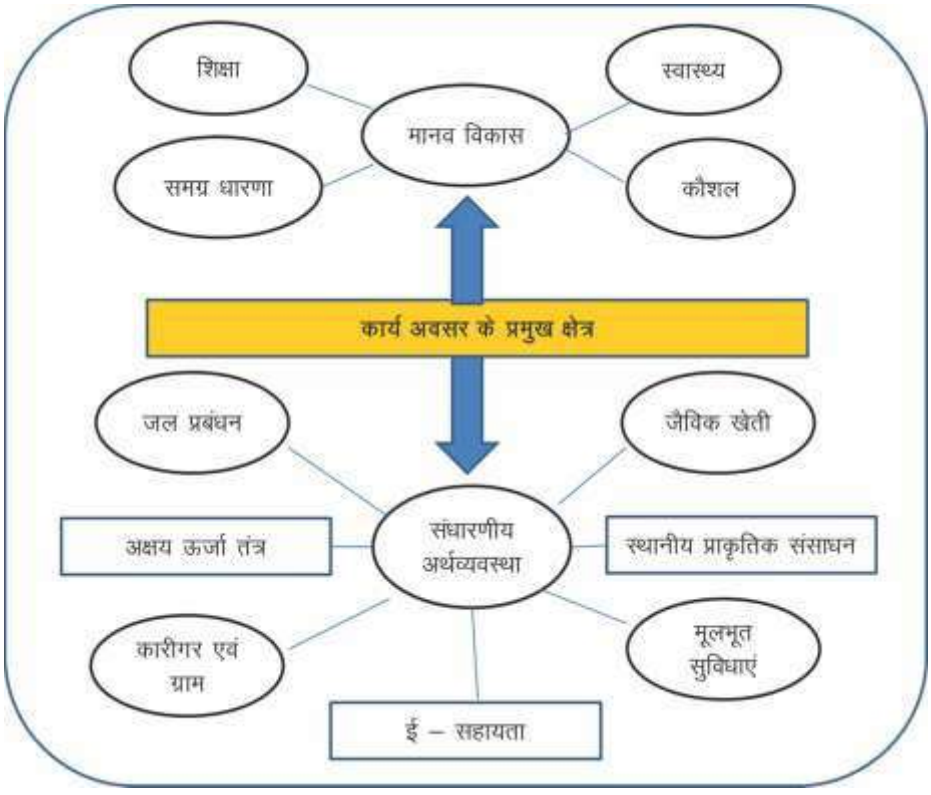

चित्र 1 : कार्य अवसर के प्रमुख क्षेत्र

4. संरचनात्मक नेटवर्क

इस महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम को देश भर में लागू करने के लिए और इसके कार्यक्षेत्र में सफलतापूर्वक एक सकारात्मक एवं स्थाई प्रभाव सृजित करने के लिए बड़ी संख्या में नोडल संस्थानों को साथ लेकर पर्याप्त संरचना वाला एक ऐसा नेटवर्क बनाए जाने और एक ऐसा कार्य तंत्र विकसित करने की महती आवश्यकता है जो नियमित रूप से गतिविधियों की योजना बनाने, उन्हें अमल में लाने और और उनका निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व सुचारू रूप से निभा सके। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि संबंधित मंत्रालयों, जिला प्रशासन, स्थानीय पंचायती राज संस्थानों (PRIs), स्वयंसेवी संगठनों, अन्य हितधारकों, और 'उन्नत भारत अभियान' में प्रतिभागिता करने वाले संस्थानों के मध्य सहज सहयोग वाली सहभागिता बनाई जाये। इस उद्देश्य की पूर्ती हेतु अब तक निम्नलिखित

संरचना (चित्र 2) कल्पित की गई है, तथा चरणबद्ध तरीके से इस पर अमल किया जा रहा है।

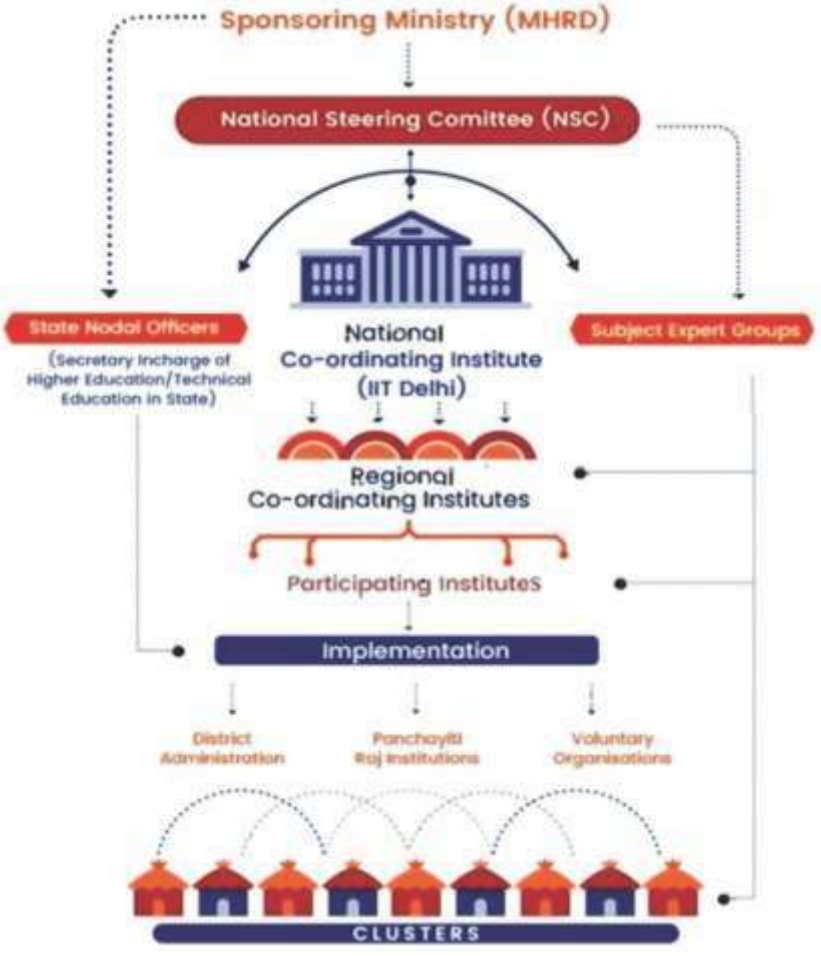

चित्र 2 : उन्नत भारत अभियान का संरचनात्मक नेटवर्क

5. कार्यान्वयन

5.1 कार्यनीति

- उच्चतर शैक्षिक संस्थानों का चयन, चुनौती प्रणाली अपनाते हुए, तकनीकी और गैर तकनीकी, दोनों तरह की शाखाओं में से, ग्रामीण समुदायों में उनके वास्तविक कार्य अनुभव, पर्याप्त संकाय और कार्यक्रम के उद्देश्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, जैसे मापदंडों के आधार पर किया जाएगा।

- चयनित संस्थान, ग्रामीण समुदायों की सामाजिक और आर्थिक खुशहाली में बढ़ोतरी करने हेतु उपयुक्त समाधान जुटाने के लिए राज्य सरकार, जिला प्राधिकारियों, पंचायती राज संस्थानों (PRIs), और गैर सरकारी संस्थानों के साथ मिल कर कार्य करेंगे।
- चयनित संस्थान, क्षेत्र दौरों के व्यय और किसी भी अन्य प्रकार के व्ययों, जिनके लिए योजना के अन्तर्गत विशेष रूप से निधि नहीं दी गई है, का प्रबंध अपने ही संसाधनों के उपयोग से करेंगे।
- जहां भी स्थानीय जरूरतों के अनुसार नया प्रौद्योगिकीय समाधान विकसित किया जाना है अथवा विद्यमान प्रौद्योगिकीय समाधान को ही अनुकूलित किया जाना है, वहां योजना के अंतर्गत 'विषय विशेषज्ञ समूह' की संस्तुती पर एक छोटी अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी ।
- संस्थानों से क्षेत्र अध्ययन करने, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का अध्ययन करके उनके बेहतर अमलीकरण के लिए सुझाव और सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा है ताकि योजनायें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति उत्तम प्रकार से कर सकें।

5.2 संस्थानों का चयन और आगे की प्रक्रिया

क. 'उन्नत भारत अभियान' में सहभागिता हेतु प्रकाशित खुले विज्ञापन के उत्तर में उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा किये गए ऑनलाइन आवेदनों में से योग्य संस्थानों का चयन 'चुनौती प्रणाली' के आधार पर किये जाने का प्रावधान है। सर्वश्रेष्ठ और सबसे योग्य चयनित तकनीकी संस्थानों की संख्या 2017–18 के लिए 250, 2018–19 के लिए 1000 और 2019–20 के लिए 1500 निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त सुयोग्य गैर–तकनीकी संस्थानों के चयन की संख्या, वर्ष 2017–18 के लिए 500, 2018–19 के लिए 2000 और 2019–20 के लिए 3000 निर्धारित की गई है। संस्थानों द्वारा चिंहित

गाँवों के बारे में मंत्रालय, संबंधित जिला कलेक्टरों को सूचित करेगा और सहभागी संस्थानों से सहयोग माँगेगा।

ख. चुने गए संस्थान ग्राम विकास प्रबंधन कार्य तंत्र, ग्रामीण प्रौद्योगिकियों और प्रचलित प्रथाओं आदि से भली–भांति अवगत होने के लिए राष्ट्रीय समंवयक संस्थान द्वारा आयोजित विशेष प्रशिक्षण एवं परिचय सत्रों में सम्मिलित होकर प्रशिक्षित होंगे।

ग. चयनित संस्थान, ग्रामीण लोगों, स्थानीय निकायों, और जिला प्राधिकारियों के साथ गुणात्मक संबंध स्थापित करके, अंगीकृत गाँवों की समस्याओं और जरूरतों पर भली–भांति सोच विचार के पश्चात स्पष्ट समझ के बलबूते समाधान जुटाएंगे। समस्या का स्पष्ट विवरण एवं उसके समाधान की आवश्यकता, प्रस्तावित समाधान और उसके अमलीकरण में आने वाली लागत, गठित 'विषय विशेषज्ञ समूह'(SEGs) द्वारा समाधान एवं इसकी लागत का सत्यापन, और इस लागत को वहन करने के लिए जिला प्राधिकारियों/केन्द्र और राज्य सरकारों/व्यापारिक समूहों (कोर्पोरेट्स)/लोकोपकारी संस्थाओं द्वारा निधि दिए जाने के आशय एवं स्वीकृति आदि को तथ्यागत रूप में समाहित किये हुए स्पष्ट वक्तव्य को सबकी जानकारी के लिए 'उन्नत भारत अभियान' के पोर्टल पर प्रकाशित किये जाने का निश्चित प्रावधान रखा गया है। प्रस्तावित समाधानों का सत्यापन करने के पश्चात 'विषय विशेषज्ञ समूह' द्वारा तकनीकी समाधानों के चयन हेतु प्रति प्रौद्योगिकी 100,000 रुपए और गाँव में विद्यमान किसी भी समाधान के अनुकूलन के लिए प्रति गाँव 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता की संस्तुती किये जाने का प्रावधान रखा गया है। यह राशि केवल निधि की उपलब्धता में अन्तराल अवधि (gap period) के एक भाग के खर्चों की पूर्ति के लिए है। जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम चला रहे और बेहतर व्यवहार और प्रक्रियाओं के ज्ञान को फैलाने में सहभागिता कर रहे गैर तकनीकी संस्थानों को दौरों की समाप्ति और कार्य स्थिति की रिपोर्टिंग के पश्चात 10,000 रुपए प्रति गाँव का सांकेतिक अनुदान दिया जाएगा।

घ. चयनित/अनुकूलित समाधान संधारणीय, नवप्रवर्तनकारी, कार्यान्वन योग्य और मापनीय होंगे। प्रयोगशाला परियोजनाओं अथवा प्रायोगिक नमूनों (मॉडल्स) के लिए कोई स्थान नहीं है और सभी समाधान वास्तविक क्षेत्र

परीक्षणों में उत्तीर्ण हुए सिद्ध होने चाहियें। संस्थानों के पास ऐसे समाधान सुझाने का कोई अवसर नहीं होगा जिसमें वे अनुवृत्ति के प्रावधान, कार्यान्वयन हेतु निधि के प्रावधान, शोध परियोजनाओं अथवा अवसंरचना के निर्माण हेतु परियोजनाओं के वित्तीय पोषण के नाम पर 'उन्नत भारत अभियान' से निधि दिए जाने का सुझाव दे सकें। 'उन्नत भारत अभियान' द्वारा किसी भी प्रकार की दीर्घकालिक अनुसन्धान परियोजना/अध्येतावृत्ति, पीएच.डी. कार्यक्रम की लागत, प्रयोगशालाओं/केन्द्रों की स्थापना, प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी कार्यक्रम, कार्यशालाओं (मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यशालाओं को छोड़कर) और किसी भी प्रकार के पूंजीगत/निर्माण व्यय के लिए आर्थिक सहायता किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। सभी चयनित समाधानों को ग्राम पंचायत की सहायता से गाँव में अनुकूलित किया किये जाने, इसके परिणामों को संस्थानों द्वारा दर्ज किये जाने और एक वेब–आधारित निगरानी व्यवस्था लागू किये जाने, जिसके अंतर्गत संस्थान फोटोग्राफ सहित पूरी कार्य प्रगति पोर्टल पर उपलब्ध करायेंगे, का प्रावधान रखा गया है।

5.3 उन्नत भारत अभियान के विभिन्न हितधारकों की भूमिका

क. प्रायोजक मंत्रालय – मानव संसाधन विकास मंत्रालय **(MHRD)**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कार्यक्रम – 'उन्नत भारत अभियान' (UBA) प्रारम्भ किया है। कार्यक्रम की दूरदृष्टि (vision) के अनुसार देश के व्यावसायिक एवं उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को ग्राम पंचायतों की विकास प्रक्रिया से जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि ग्राम समूह सतत् एवं स्थायी विकास प्राप्त करने और बेहतर जीवन स्तर पाने में समर्थ हो सकें। 'उन्नत भारत अभियान' के संरचनात्मक नेटवर्क की स्थापना और इस अभियान के दलों की बेहतर सहभागिता

के लिए अभिविन्यास, ताकि वे राष्ट्रीय समंवयक संस्थान (NCI), क्षेत्रीय समंवयक संस्थानों (RCIs), प्रतिभागी संस्थानों (PIs) के उन्नत भारत अभियान समूहों की स्थापना और उनका संचालन प्रभावी रूप से कर सकें। नए चयनित सहभागी संस्थाओं में जागरूकता लाने और कार्यक्रमों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए

सांकेतिक निधि आदि के लिए आधारभूत आर्थिक कोष मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाना है। इसके अतिरिक्त, स्रोत सामग्री, प्रशिक्षण कार्यशाला आदि तैयार करने के लिए विषय विशेषज्ञ समूह के कार्यों के लिए आवश्यक निधि भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की जानी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रौद्योगिकी अनुकूलन एवं कार्यान्वयन के लिए भी अंतराल निधियां (Gap funds) प्रदान करेगा।

ख. राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC)

कार्यान्वयन में अपेक्षित सफलता पाने के लिए सर्वोत्तम प्रयास को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति, जिसके सदस्य प्रतिष्ठित विशेषज्ञ होने चाहियें, का गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2016 को दिए गए आदेश संख्या 1-1/2016–UBA, के द्वारा किया गया। यह एक शीर्ष नीति निर्माता संस्था है। इसमें मंत्रालयों/विभागों - मानव संसाधन विकास, पंचायती राज, भू–संसाधनों, पेयजल एवं स्वच्छता और कुछ अन्य से प्रतिनिधि लिए जाने का प्रावधान है। सभी हितधारक संस्थानों और राज्य सरकरों के साथ काम कर, इन प्रयासों का नेतृत्व करना समिति का उत्तरदायित्व है।

राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) के सदस्यों की सूची संलग्नक–III के रूप में उपलब्ध है।

ग. राष्ट्रीय समन्वयक संस्थान (NCI)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, इस योजना का 'राष्ट्रीय समंवयक संस्थान' (NCI) है और अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इसके समग्र उत्तरदायित्व में संस्थानों के चयन और उनके प्रशिक्षण, विषय विशेषज्ञ समूहों के

गठन और वेब पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम की प्रगति की देख-रेख का कार्य सम्मिलित है।

घ. विषय विशेषज्ञ समूह संस्थान (SEGs)

'विषय विशेषज्ञ समूह' में सम्मिलित संस्थानों को 'राष्ट्रीय समंवयक संस्थान' (NCI) ने ग्रामीण कार्यों में कार्यरत संस्थानों द्वारा माँगी गई परिचालनात्मक विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए नियुक्त किया है। ये संस्थानों द्वारा प्रस्तावित तकनीकी समाधानों को मूल्यांकित कर उन्हें अनुमोदित करते हैं और अनूकूलन प्रक्रिया का अनुवीक्षण करते हैं।

'उन्नत भारत अभियान' के सभी पदाधिकारियों के लिए संसाधन की 'स्थिति एवं तकनीकी जानकारी' नियम पुस्तक तथा प्रयास/हस्तक्षेप के विभिन्न विशेषज्ञता क्षेत्रों में आवश्यक प्रशिक्षण कार्यशालाएं चलाने के साथ–साथ अन्य प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने और उन्हें अद्यतन करने का उत्तरदायित्व 'विषय विशेषज्ञ समूह' के ऊपर है।

विषय विशेषज्ञ समूह (SEGs), राष्ट्रीय समंवयक संस्थान और प्रतिभागी संस्थानों से सीधे सम्पर्क करेंगे। आवश्यकता के आधार पर, विषय विशेषज्ञ समूह (SEGs) उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विचाराधीन गाँवों का दौरा करेंगे।

विषय विशेषज्ञ समूह सस्थानो **(SEGs)** के उत्तरदायित्व एव उनसे अपेक्षाएं

- एक बड़े विचार मंच (थिंक टैंक) और तकनीकी विशेषज्ञ संसाधन के रूप में कार्य करना।
- विषय क्षेत्र में दूरदृष्टि, कार्यनीतियों और संभावित दिशानिर्देश (योजना) पर मार्गदर्शन करना।
- अपेक्षित प्रशिक्षण, अभिविन्यास देना और वास्तविक कार्यान्वयन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना।
- व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के प्रशिक्षण को पुनः अनुकूलित करने के लिए पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करना।

- सहभागी संस्थानों (PIs) अथवा किन्ही अन्य अन्वेषकों द्वारा प्रस्तुत नए तकनीकी समाधानों का मूल्यांकन तथा अनुमोदन करना।

विषय विशेषज्ञ समूहों (SEGs) की सूची संलग्नक II के रूप में उपलब्ध है।

ङ क्षेत्रीय समन्वयक संस्थान (RCIs)

'राष्ट्रीय संचालन समिति' (NSC) द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों/राज्यों में कार्यक्रम के बेहतर समंवय के उद्देश्य के लिए क्षेत्रीय समंवयक संस्थानों की पहचान किये जाने का प्रावधान है।

प्रतिभागी संस्थानों की गतिविधियों को सुविधा प्रदान करने, मार्गदर्शन और अनुवीक्षण के लिए 'क्षेत्रीय समंवयक संस्थानों' की पहचान उनके पूर्व अनुभव, और अवसंरचनात्मक क्षमता आदि के आधार पर की जाती है। ये संस्थान अपने क्षेत्र में 'उन्नत भारत अभियान' के नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए नोडल केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं और अपने समूह की गतिविधियों को अंजाम देने के अतिरिक्त अपने आस–पड़ोस के क्षेत्र में स्थित सहभागी संस्थानों (PIs) को दक्षता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं।

च. सहभागी संस्थान (PIs)

सहभागी संस्थान (PI) से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ती हेतु स्वैच्छिक संगठनों सहित राज्य सरकार/जिला प्रशासन/पंचायती राज संस्थानों/अन्य हितधारकों के साथ निकट समंवय की अपेक्षा है :

- चयनित गाँवों की आवश्यकताओं को समझना;
- विद्यमान प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन/प्रौद्योगिकी विकसित करने की जरूरत/स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विद्यमान सरकारी योजनाओं की कार्यान्वयन प्रणाली में सुधार लाने की संभावनाओं को तलाशना;
- संस्थान के आंतरिक संसाधनों के अतिरिक्त जिला प्रशासन/पंचायती राज संस्थानों/अन्य स्रोतों से कोष समर्थन प्राप्त करने के लिए संभावनाओं का पता लगाना;
- चयनित गाँवों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए सभी हितधारकों के निकट समंवय से तदनुसार कार्य योजना तैयार करना;

- स्थानीय प्रशासन एवं अन्य हितधारकों के समंवय से कार्ययोजना को कार्यान्वित करना।

सहभागी संस्थानों से अपेक्षित है कि वे ग्रामीण कार्यों मे भाग लेने के लिए स्वःस्फूर्त प्रेरणा से भरे हों, उत्साहित होकर ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए प्रभावी समाधान निकालने के प्रयास में जुटें, अपने पाठ्यक्रम एवं शोध सामग्री को सामाजिक

आवश्यकताओं के अनुरूप ढालें, और ऐसा खुला रुझान रखें कि उनके छात्रों एवं संकाय को ग्रामीण प्रक्रियाओं से जुड़ कर अपनी योग्यता बढाने का लाभ प्राप्त हो।

उपरोक्त के अनुरूप, उनसे अपेक्षित है कि वे यात्रा, गाँव में ठहरने और इस प्रक्रिया संबंधी अन्य सभी व्यय स्वयं वहन करें, उन्नत भारत अभियान में सम्मिलित छात्रों को अंक प्रदान करें, समाधान विकसित करने के लिए अपनी प्रयोगशालाओं का उपयोग करने की अनुमति दें, समाधान के चयन के लिए अन्य खर्चे, यदि कोई हैं, की पूर्ति करें, और 'उन्नत भारत अभियान' द्वारा निर्धारित साकेंतिक वित्तीय राशि से इतर राशि की अपेक्षा न रखें।

सभी सहभागी शिक्षा संस्थानों से अपेक्षा है कि वे उन्नत भारत अभियान प्रकोष्ठ, जो कि उस संस्थान में उन्नत भारत अभियान की गतिविधियों के कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होगा, स्थापित करें । इसमें एक सक्रिय कार्यकारी समूह का विकास होगा जिसमें विभिन्न विभागों/केन्द्रों के स्वः प्रेरित संकाय सदस्यों के साथ–साथ ग्राम–विकास कार्यों से जुड़ने के लिए उत्साहित कुछ छात्र प्रतिनिधि भी होंगे। इसे उस संस्थान में उन्नत भारत अभियान का मूल कार्यवाही समूह कहा जा सकता है, जो प्राथंमिक रूप से संस्थान विशेष के अन्दर अथवा बाहर उन्नत भारत अभियान से संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

प्रत्येक उन्नत भारत अभियान प्रकोष्ठ का मुख्य उत्तरदायित्व प्राथमिक रूप से चुनींदा ग्रामीण समूहों के साथ संपर्क विकसित करना, योजना निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के साथ–साथ उन समूहों में विकासात्मक प्रयासों को सुधारने एवं गति प्रदान करने के लिए अपेक्षित कार्य प्रयासों को बढ़ावा देना है। उन्नत भारत अभियान प्रकोष्ठ, अपने कार्यकारी समूह की क्षमता को विकसित करने के लिए

उचित अभिविन्यास, प्रशिक्षण ओर स्वदेशी और सतत् ग्रामीण विकास के प्रति संस्थान के अन्तर्गत स्वाभावगत रुझान सृजित करने और आवश्यक पाठ्ययचर्या संशोधनों को शुरू करने तथा अन्य सुविधा प्रदान करने के उपायों के लिए भी उत्तरदायी होगा।

छ. राज्य सरकारें/जिला प्रशासन

- राज्य सरकार, उन्नत भारत अभियान के लिए सचिव, अधिमानतः राज्य के उच्चतर शिक्षा के प्रमुख सचिव, के स्तर का एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकती है।
- राज्य सरकार से अपेक्षित है कि राज्य के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, प्रमुख शैक्षिक संस्थानों, क्षेत्रीय समंवयक संस्थान के साथ–साथ राष्ट्रीय समंवयक संस्थान के सदस्यों को सम्मिलित करके उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देते हुए 'उन्नत भारत अभियान' की एक 'राज्य संचालन समिति' का गठन करे।
- राज्य सरकार से अपेक्षित है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों में जिलाधिकारी के प्रतिनिधित्व में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों को और राज्य के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों (पोलिटेक्निक सहित उच्चतर शिक्षा संस्थान) को, उनमें उपस्थित 'उन्नत भारत अभियान' के समंवयकों, जिन्हें संस्थानों के प्रमुखों द्वारा नियुक्त/नामित किया गया है, के प्रतिनिधित्व में, सम्मिलित करे।
- जिला प्रशासन, संस्थानों और संकाय को गाँवों में उनके दौरों के लिए यथा आवश्यक सुविधा और सहायता प्रदान करे।
- जिला प्रशासन, ग्राम पदाधिकारियों के प्रशिक्षण और समावेशी दौरों के लिए सहायता प्रदान करे।
- जिला प्रशासन से अपेक्षित है कि वह 'उन्नत भारत अभियान' में व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अभियान द्वारा किये जा रहे पहल प्रयासों को एक उत्तम संप्रेषण कार्यनीति बनाकर लोकप्रिय बनाए तथा इसे एक सच्चा आन्दोलन बनाने के लिए हर संभव प्रयास करे।

6. कार्य योजना (Action Plan) तैयार करना

प्रारंभिक क्रमिक विकास वाली अवधि के दौरान, संरचनात्मक नेटवर्क और कार्य के उचित तौर-तरीकों की स्थापना के साथ कार्य प्रयासों की क्षमता के विकास और साथ ही 'उन्नत भारत अभियान' में सम्मिलित विभिन्न घटकों जैसे कि सहभागी

संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों, संबंधित मंत्रालय/विभाग, स्वैच्छिक संगठनों के मध्य सामंजस्य और परस्पर सौहार्द जगाना और एक बड़े पैमाने पर लोगों के विश्वास को जीतने की प्रक्रिया धीमी और श्रमसाध्य सिद्ध होती है लेकिन हमें दृढ़ता से, इस क्षेत्र में ठोस सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने तक, इस कठिन राह पर चलते जाना है।

ग्रामीण विकास योजना

जिला कलेक्टरों के परामर्श से पहचाने गए प्रत्येक गाँव के लिए एक ग्राम विकास योजना तैयार की जाती है। ग्राम समूह के लिए उत्तरदायी शिक्षा संस्थान के प्रभारी द्वारा ऐसे प्रयास वांछित होते हैं जिससे कार्य के प्रति सामाजिक प्रोत्साहन का वातावरण बने। निम्नलिखित कुछ कदम सहायक सिद्ध होते हैं :–

- गाँव के क्रिया–कलापों जैसे ग्राम सभा, महिला सभा, बाल सभा, और युवा क्लबों आदि में भागीदारी।
- ग्राम विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के वीडियो प्रदर्शन।
- गाँव के स्कूल में जाकर शिक्षकों एवं छात्रों से संवाद करना।
- महत्त्वपूर्ण अवसरों पर बैनर लगाना, पर्चे एवं प्रचार पुस्तिका बाँटना एवं रैलियाँ आयोजित करना।
- स्वच्छता अभियान आयोजित करना।
- वृक्षारोपण।
- लोगों की शिकायतों, क्षेत्र की एक बड़ी समस्या को सूचीबद्ध करना और उनके समाधान के बारे में बातचीत करना।

लोगों से पर्याप्त मेल–जोल बढ़ाने के पश्चात् आधार–रेखा सर्वेक्षण किया जा सकता है, जिससे कि वर्तमान परिदृश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, आधारभूत

आँकड़ा एकत्रित करने, और लोगों द्वारा सहन की जा रही समस्याओं की पहचान करने के साथ–साथ विकास की संभावना तलाशने का कार्य संपन्न किया जा सके। मानव आबादी, विद्यालयों, नजदीकी रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, डाकघर, ई–हाइवे, भूमि उपयोग, जल निकायों, सिचाई संरचनाओं, दुकानों, सड़कों, घरों, कृषि क्षेत्रों, जंगलों, यदि कोई हों, और पशुओं आदि संसाधनों के आंकड़ों को मानचित्रण द्वारा दर्शाते हुए वास्तविक स्थिति का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

आवश्यकता मैट्रिक्स तैयार करके प्राथमिकताएं निर्धारित करके विकास और कार्य की योजना के लिए कार्यनीति बनानी चाहिए। आवश्यक योजनाओं एवं परियोजनाओं, उन सहित जो केन्द्र और राज्यों द्वारा प्रायोजित हैं, की रूपरेखा बनानी चाहिए। लोगों और ग्राम सभा के परामर्श से यह सब करके इस आधार पर गाँव की विकास योजना का ड्राफ्ट विकसित करके इस पर जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों से विचार–विमर्श किया जाना चाहिए। एक बार अनुमोदित हो जाने के बाद जिला कलेक्टर इसे समग्र जिला प्लान में सम्मिलित करना चाह सकते हैं। उपरोक्त के लिए सभावित समय सीमा इस प्रकार हो सकती है :–

कार्य का नाम	**शुभारंभ की तारीख से समय**
समूह का चयन	एक माह
जागरूकता जगाना	दो माह
सामाजिक संघटन	तीन माह
आधारभूत सर्वेक्षण	तीन माह
स्थिति विश्लेषण	पाँच माह
ग्राम विकास योजना	सात माह
अनुमोदन एवं स्वीकृति	आठ माह
क्षेत्र में कार्यान्वयन	नौ माह
प्रगति समीक्षा	एक वर्ष

अनुवीक्षणः राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थित एक वेब आधारित प्रणाली के अंतराफलक (इन्टरफेस) पर शैक्षिक संस्थानों और अन्य मुख्य हितधारकों को प्रवेश करने, सुझाव देने/टिप्पणी करने, पूछताछ करने और शिकायत करने की सुविधा होती है। कार्यान्वयन प्राधिकारी द्वारा तुरन्त प्रत्युत्तर दिये जाने का प्रावधान है। कार्यक्रम की प्रत्येक गतिविधि की फोटो भू–टैगिंग के साथ सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराने, प्रत्येक गतिविधि के परिणामों को त्रैमासिकी माप कर ग्राम विकास योजना में निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की कसौटी पर जांचने का प्रावधान रखा गया है।

7. उन्नत भारत अभियान के अन्तर्गत सहभागी संस्थानों का क्षेत्र अनुभव (PIs)

(I) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (भा.प्रौ.सं.दिल्ली)

भा.प्रौ.सं. दिल्ली ने गाँवों के चार समूह – उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में, उत्तर प्रदेश के आगरा में, और मथुरा जिले में अंगीकृत किए। इनमें की गई कुछ गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया हैः–

क. हरिद्वार समूह

घर और ग्राम स्तर पर सर्वेक्षण किए गए। उन्नत भारत अभियान के लक्ष्यों और योजनाओं पर विचार–विमर्श करने के लिए गाँव में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई। स्कूल के शिक्षक सहित, जाति एवं वर्ग का अंतर किये बिना सभी स्त्री और पुरुष बैठक में सम्मिलित हुए। सम्पूर्ण गाँव की स्पष्ट तस्वीर के बारे में वार्ड सदस्यों ने बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। दल ने घर–घर जाकर सम्पूर्ण गाँव का घरेलू सर्वेक्षण 10 दिन में पूरा किया। मूलभूत जानकारी संग्रहित की गई और ग्रामीणों द्वारा जिन विशेष समस्याओं का सामना किया गया था, उनकी पहचान की गई। सहभागिता संबंधी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA) किया गया जिसका मूल उद्देश्य गाँव के वर्तमान परिदृश्य, संसाधनों की उपलब्धता और इन संसाधनों से संबंधित

प्रमुख मुद्दों, गाँव में आधारभूत अवसंरचना और मूलभूत सुविधाओं, से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी थी।

सहभागिता संबंधी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA) पद्धति स्थानीय लोगों की सहायता से गाँव के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। गाँववासियों ने जानकारी साझा की और गाँव के लिए विकास योजना तैयार करने में सहभागिता की।

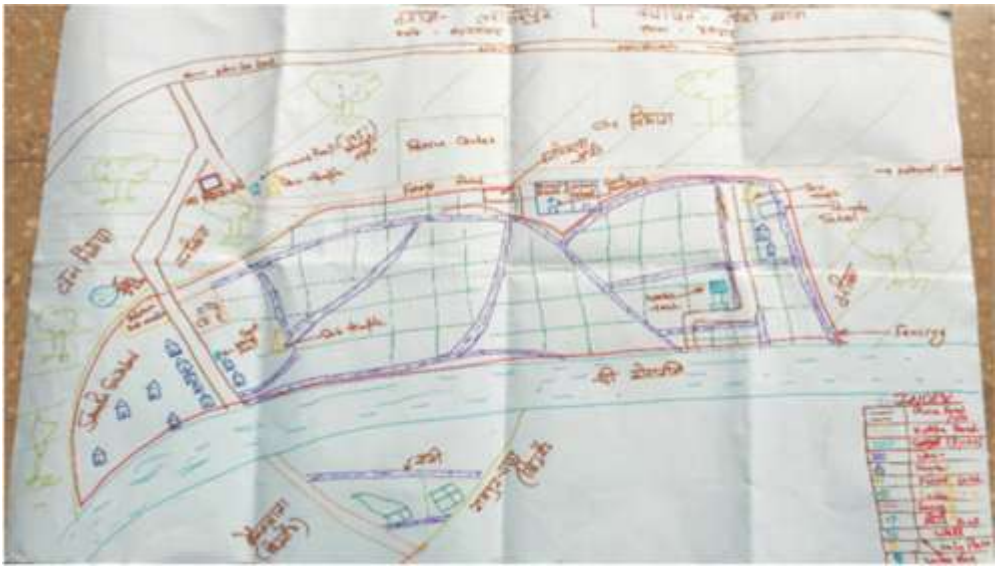

चित्र 3: लाहदपुर गाँव में सहभागिता संबंधी ग्रामीण मूल्यांकन प्रणाली, दिनांक 16 अक्टूबर, 2017

समझ और समस्या की पहचान

- प्राकृतिक संसाधन जैसे जंगल और पानी, क्षेत्र के अंदर और बाहर आसानी से उपलब्ध हैं।
- अधिकांश परिवार भूमिहीन हैं और अपनी अल्प आजीविका अकुशल श्रमिक कार्य और बँटाईदारी से अर्जित कर रहे हैं।
- किसान गन्ना एवं धान की फसल उगाते हैं और बागवानी करते हैं।
- लोग हाथी, बन्दर, बैल, नीलगाय और हिरण आदि जैसे जंगली जानवरों के कारण बुरी तरह पीड़ित हैं, क्योंकि ये जानवर क्षेत्र में कृषि के लिए खतरा बनकर फसल नष्ट कर देते हैं।

- सरकार ने सन् 2017 में इस क्षेत्र में बहने वाली रवासन नदी में रेत खनन की अनुमति दी है और कुछ स्थानीय लोग इसके लिए श्रमिक के रूप में नियुक्त हो जाते हैं। इस क्षेत्र में आय प्राप्ति का यह महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
- मलेरिया और टाइफाइड वर्षा ऋतु की आम बीमारियाँ हैं।
- पंचायत अथवा गाँव स्तर के सरकारी अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों के साथ समुचित रूप से बैठकें न किये जाने के कारण ग्रामीणों के पास सरकारी योजनाओं के बारे में बहुत ही कम जानकारी है।
- 95% से अधिक किसानों द्वारा लम्बे समय से रासायनिक खाद, कीटनाशक और खर–पतवारनाशी का उपयोग करते रहने के कारण खेतों की मिट्टी अनुत्पादक हो गई है।
- लिंग अनुपात तुलनात्मक रूप से अति निम्न है (प्रति 1000 पुरुषों पर 884 महिलाएं)।

समस्यायें कम करने के लिए उठाए गये कुछ कदम

कृषि विकास के मुद्दे का समाधान करने के लिए 16 सितम्बर, 2017 को एक-दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के परिणाम निम्नानुसार हैं:–

- अपने कृषि उत्पादों को बेचने के लिए अपने ब्राण्ड और पैकेजिंग का विकास जैसे कि 'खता का आटा'
- वर्तमान में बोये जा रहे गन्ने के बीज के बदले उन्नत किस्म के बीज से गन्ने की खेती करना।
- देव संस्कृति विश्वविद्यालय की सहायता से गेंदीखता में अवमृदा स्वास्थ्य जाँच प्रयोगशाला केन्द्र की स्थापना करना।
- आय के स्रोत बढ़ाने के लिए और जंगली जानवरों से छुटकारा पाने के लिए शहद हेतु मधुमक्खी पालन प्रारम्भ करना।
- गाजर, मूली, और चुकन्दर आदि जड़ वाली फसलें उगाना शुरू करना।

- पशुपालन विभाग द्वारा गेंदीखता गाँव को प्रतिवर्ष 10 गायें तक देने की योजना शुरू करना।
- फसल कटाई के बाद रोजगार के अवसर विकसित करना।

ख. गुरुग्राम समूह

- अन्य ग्राम समूहों की तरह यहाँ भी सर्वेक्षण और अन्य गतिविधियाँ कार्यान्वित की गईं। भा.प्रौ.सं. दिल्ली ने गाँव में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए विस्तृत प्रस्ताव बनाए जाने को चिंहित किया।
- भा.प्रौ.सं. दिल्ली ने गाँव में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए गैर सरकारी संगठन "चिन्तन" से सम्पर्क किया। इस गतिविधि में सबसे निम्न स्तर पर स्रोत पर ही अपशिष्ट को अलग–अलग छांट देने के लिए प्रत्येक घर में उपयोग के लिए उपयुक्त कूड़ेदानों की आवश्यकता देखी गयी। भा.प्रौ.सं. दिल्ली ने इस आवश्यकता को गाँव में कुछ लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के एक अवसर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया।
- गैर सरकारी संगठन–'चिन्तन' द्वारा खुर्रमपुर में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए बनाए प्रस्ताव में भा.प्रौ.स. दिल्ली द्वारा अतिरिक्त सामग्री जोड़कर परिवर्द्धित प्रस्ताव को जिला प्रशासन को भेजा गया।
- गाँव खुर्रमपर में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। आयुष मंत्रालय के माध्यम से समय–समय पर कुछ आयुर्वेदिक/होम्योपैथी चिकित्सकों के गाँव में जाने की संभावना का पता लगाया गया।
- आयुष मंत्रालय ने सहायता प्रदान करते हुए गाँव में हर तीसरे हफ्ते एक आयुर्वेदिक चिकित्सक और एक होम्योपैथी चिकित्सक की गाँव में जाकर लोगों को चिकित्सीय सुविधा देने की वैकल्पिक व्यवस्था की।
- इस प्रकार पिछले कुछ माह से चिकित्सक प्रति पखवाड़े में गाँव में जाते हैं।
- हालांकि गाँव में यह एक अल्पावधि समाधान है।

चित्र 4 : खुर्रमपुर गाँव, गुरुग्राम में चिकित्सा कैम्प

- दीर्घावधि (स्थायी) समाधान के लिए भा.प्रौ.सं. दिल्ली ने, जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार से क्षेत्र में आयुष क्लीनिक स्थापित करने के लिए सम्पर्क किया।
- भा.प्रौ.सं. दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में मिट्टी के बर्तन बनाने में उपयोग में लाई जाने वाली भट्टियों को बेहतर बनाने के पूर्व अर्जित अनुभव के आधार पर खुर्रमपुर में उपस्थित भट्टी के अध्ययन के पश्चात न्यूनतम लागत से उसमें संशोधन किये जाने का प्रस्ताव दिया गया।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) योजना के माध्यम से रोजगार में वृद्धि के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भा.प्रौ.सं. दिल्ली की टीम ने इस योजना का विवरण समझाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के हरियाणा स्थित अधिकारियों का दौरा संपन्न कराया। परिणामस्वरूप अनेक ग्रामवासियों ने इस योजना के अन्तर्गत ऋण पाने के लिए आवेदन किया।
- भा.प्रौ.सं. दिल्ली टीम ने NDSC पदाधिकारियों से NSD योजना के अन्तर्गत ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देने के लिए भी सम्पर्क किया।
- भा.प्रौ.सं. दिल्ली टीम ने गाँव में प्रभावी शासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म को सक्षम बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसे विशेषकर

digi – इंडिया पहल के अन्तर्गत जिला प्रशासन के गहन साह्चर्य में सम्पन्न किया जा रहा है।

II. श्री गोविन्द्रम सेकसारिया इंन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी ऐन्ड साइन्स, इन्दौर (SGSITS, इंदौर)

झाबुआ के दो गाँवों में – खेदा और देवझिरी में खुले में शौच से मुक्ति (ODF की स्थिति)

खेदा गाँव में आदिवासियों के 566 घर हैं जबकि देवझिरी में लगभग 184 घर। इन गाँवों के लगभग सभी धरों में मानक मानदंडो के आधार पर पक्के शौचालय बनाए गए हैं और ग्रामवासियों द्वारा इनका पूर्णरूपेण इस्तेमाल किया जा रहा है। विभिन्न माध्यमों जैसे कि जिला प्रशासन द्वारा प्रेरणात्मक कार्यक्रमों, गाँव के कामगारों, और आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर–घर सम्पर्क से स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं और बच्चों सहित सभी की सक्रिय प्रतिभागिता से गाँव में शौर्य यात्रा आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, इनके घरों और कृषि खेतों के जैव निम्नीकरण अपशिष्ट से जैव खाद बनाने के उद्देश्य के लिए मानक निर्माण कार्य के विवरण से उनके घर के परिसरों में 15 NADEP का निर्माण किया। गाँव में NADEP की पहल ने गति पकड़ ली है और निकट भविष्य में कुछ और परिवारों द्वारा जैव खाद की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने घरों में NADEP का निर्माण किया जाना संभव है। यह रासायनिक खादों पर उनकी निर्भरता को कम करेगा और अधिक प्रभावी रूप से भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा। उन्नत भारत अभियान के अन्तर्गत खेदा और देवझिरी गाँवों ने खुले में शौच मुक्ति के साथ–साथ जैव खाद निर्माण, मृदा प्रतिधारण क्षमता और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति कर ली है। खेदा और देवझिरी गाँव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने में भी उल्लेखनीय प्रगति की है और इन गाँवों में इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है।

- उन्नत भारत अभियान के अन्तर्गत गाँववासियों के लिए 'स्वच्छ भारत' के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जिला कलेक्टर के गतिशील नेतृत्व में जिला प्रशासन की भूमिका अत्यन्त सहयोगात्मक और प्रेरणादायी रही है।

चित्र 5: प्रत्येक घर में शौचालय की आवश्यकता के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु ग्रामवासियों के साथ बैठक।

चित्र 6: शौचालय निर्माण हेतु खाका तैयार करना तथा दोहरे गड्ढ़े की खुदाई शुरू करना।

(III) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT मणिपुर)

उन्नत भारत अभियान – राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मणिपुर के दल ने गाँव की भागीदारी का ग्रामीण मूल्याकंन (PRA) किया और अत्यधिक प्राथमिकता के क्षेत्र – साफ और सुरक्षित पेयजल की पहचान की। गाँव में स्थित बहुत सारे तालाब ही ग्रामवासियों के जल के मुख्य स्रोत हैं, हालांकि पानी की गुणवत्ता और सुरक्षितता का स्तर चिन्ता का मुख्य विषय है। तालाब के पानी के मूल्यांकन सर्वेक्षण के दौरान निम्नलिखित कार्य योजना का सुझाव दिया गया:

क. स्वदेशी तकनीकों (रूक्षण फिल्टर और धीमी गति से बालू छानने वाले फिल्टर के संयोजन से) और निम्न लागत के और आसानी से उपलब्ध सामग्री द्वारा नजदीकी तालाबों से लाये गए जल का उपचार।

ख. संयंत्र के संचालन एवं रखरखाव के बारे में जागरूकता पैदा करना।

ग. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के नियमित रूप से बेहतर प्रयोग के लिए कूड़ेदानों (अलग–अलग ठोस अपशिष्ट) की शुरुआत और स्थापना से गाँवों की स्वच्छता।

घ. स्वच्छता के महत्त्व के संबंध में स्थानीय लोगों को जागरूक बनाना।

- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) मणिपुर में गाँव में बड़े पैमाने की निस्पंदन (Filteration) संयंत्र की इकाई लगाने के लिए उपयुक्त डिज़ायन के लिए अध्ययन करने के लिए पहले एक प्रयोगशाला पैमाने (Lab-scale) के स्तर की और एक प्रायोगिक संयंत्र (Pilot plant) की निस्पंदन इकाई (Filteration unit) स्थापित की गई। विवेचन संयंत्र देशज तकनीकों (रफिंग (रुक्षण) फिल्टर और धीमी गति से बालू छानने वाले फिल्टर के मेल से) निम्न लागत तथा आसानी से उपलब्ध सामग्री पर आधारित था। अभिकल्पित संयंत्रों का सहारा लेकर उन्हें घरेलू और सामुदायिक जरूरत (रिएक्टर के शीर्ष दृश्य (चित्र), परिच्छेद अग्र दृश्य और पार्श्व परिच्छेद दृश्य चित्र में दर्शाए गए हैं) के आधार पर संचालित किया गया था। उच्च जल स्तर पानी को विसारक (diffuser) के और निस्पंदक के माध्यम से पानी को दाब देगा जिसे जलीय (hydraulic) हेड भी कहा जाता है। जलाशय में जल स्तर नीचे जाता है जैसे कि यह रेत में होकर समान रूप से बहता है। फिल्टर के माध्यम से पानी को फोर्स करने हेतु कम दबाव के कारण प्रवाह दर कुछ समय पश्चात् धीमी हो जाएगी।
- प्रविष्ट पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ और संदूषक होते हैं और वह बायोलेयर में उपस्थित सूक्ष्मजीवों द्वारा वांछित ऑक्सीजन प्रदान करता

है। तैरने वाले बड़े कण और रोगाणु रेत के शीर्ष में ही रुक कर रेत के कणों के बीच के छिद्रों को आंशिक रूप से बंद कर देते हैं और इस कारण प्रवाह दर भी धीमी हो जाती है।

सतत् जल आपूर्ति के लिए फिल्टर की सतह पर मल स्तर अथवा गंदी त्वचा (Schimutzdecke) के विकास की सहायता से रोगाणुओं को हटाने के लिए धीमा–रेत–फिल्टर डिजायन किया गया है। हालांकि सर्वेक्षण के दौरान ग्रामीणों ने रुक–रुक कर जल आपूर्ति का अभ्यास किया और सतत् आपूर्ति के लिए जलाशय का पानी पर्याप्त भी नहीं होगा। अंतरायिक आपूर्ति के लिए, जैव–बालू–फिल्टर का घरेलू स्तर पर (अधिकतम 30 सेमी. डायामीटर पर) व्यापक अभ्यास किया जाता है। अतः राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मणिपुर ने जैव–बालू–फिल्टर संकल्पना का प्रयोग कर रिएक्टर के आकार को बड़ा करने के लिए प्रोटोटाइप रिएक्टर का डिजायन करके उसका अध्ययन किया। संशोधित जैव–बालू–फिल्टर का विस्तृत डिजायन नीचे दिया गया है। इसमें स्थानीय बाजार से प्राप्त बालू और बजरी माध्यम के रूप में उपयोग में लाये गए हैं।

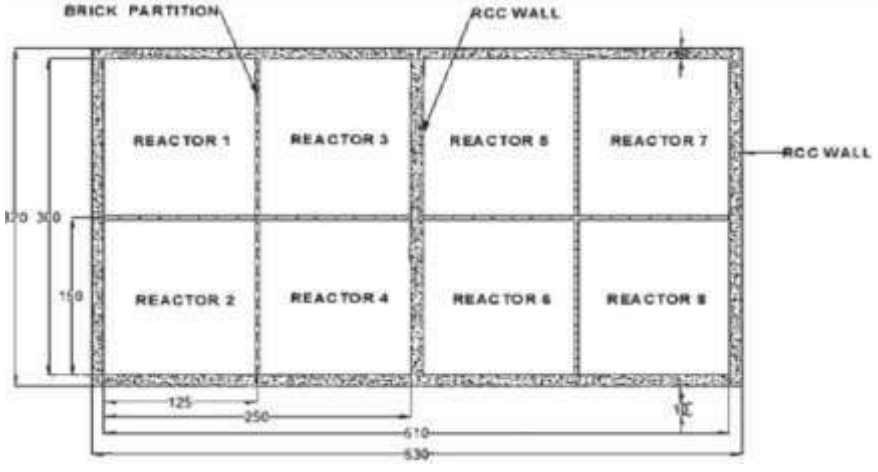

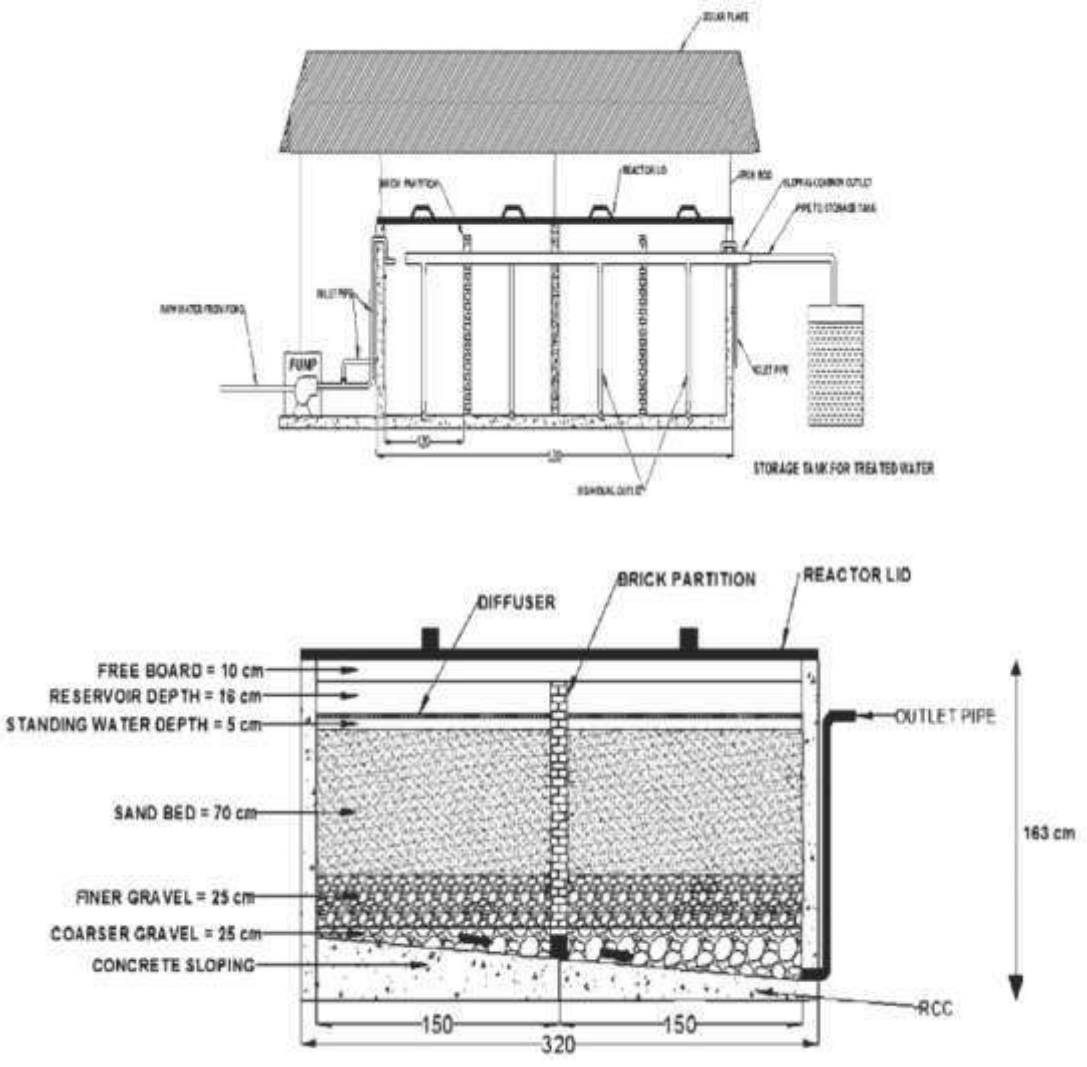

चित्र 7: प्रायोगिक संयंत्र स्तरीय निस्पंदक इकाई का डिजायन

रूक्षण (रफिंग) और जैव–बालू पर आधारित एक 9000 लीटर की क्षमता के प्रशोधन संयंत्र का डिजायन और निर्माण किया गया था। संयंत्र में जलाशय से लेकर पानी को उपचारित किया गया और ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध कराया गया। प्रशोधित जल को परीक्षण के उपरान्त पेयजल के लिए निर्धारित सभी मापदंडों पर खरा उतरा पाया गया। संयंत्र का उद्घाटन 28 अगस्त, 2016 को किया गया।

चित्र 8: **(i)** जलाशय एवं जल प्रशोधन संयंत्र

(ii) डॉ॰ पी अल्विनो, समंवयक, उन्नत भारत अभियान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), मणिपुर, जैव–बालू–फिल्टर तकनीक पर आधारित सामूहिक प्रशोधन संयंत्र कम्युनिटी के संचालन एवं रख–रखाव पर जागरूकता प्रदान करते हुए।

निर्माण के पश्चात् जैव–बालू–फिल्टर का उद्घाटन 28 अगस्त, 2017 को किया गया। उद्घाटन में 200 से अधिक स्थानीय लोगों ने भाग लिया और डॉ. पी. अल्विनो कुमार, समंवयक, उन्नत भारत अभियान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), मणिपुर ने संयत्र के प्रदर्शन एवं इसके बारे में जागरूकता प्रदान करने हेतु दिए व्याख्यान में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:

- जलाशय के पानी की गुणवत्ता को संरक्षित करने के लिए पशुओं और मानव हस्तक्षेप से बचाव।
- रिएक्टर की कार्यविधि
- रिएक्टर – क्या करें, क्या न करें (शिशुओं द्वारा प्रशोधित जल को स्नान के लिए बरबाद करना – सदैव दिखाई देने वाली बात है।)
- आसानी से उपलब्ध कम लागत की सामग्री से घरेलू फिल्टर का डिजायन।

चित्र 9: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान **(NIT)** – उन्नत भारत अभियान, स्थल और प्रयोगशाला में जल का परीक्षण करते हुए।

(IV) स रदार वल्लभ भाई इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नालोजी, सूरत (SVNIT) सूरत

(क) वृक्षारोपण

- लोगों को "तरु मित्र" एवं "तरु पुत्र" बनने के लिए प्रेरित करना।
- पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता।
- स्वस्थ शरीर – निर्मल मन।
- स्वच्छ – हरित एवं स्वास्थ्यकर वातावरण।

कार्य योजना

शहर/शहरी क्षेत्र के लिए :

- स्थानीय अधिकारी वर्ग और लोगों की सहायता से एक बड़े बगीचे का विकास कार्य हाथ में लेना।
- एक्यूप्रेशर–पथ के निर्माण हेतु नक्शा तैयार करना।
- पावन वृक्षों – नक्षत्र वाटिका, ग्रह वाटिका, राशि वाटिका, का रोपण ।
- आगन्तुकों के लिए लौकी, ज्वार, एलोवेरा के जूस और अंकुरित अनाजों आदि की व्यवस्था करना।
- योग केन्द्र/ध्यान/पिरामिड धाम और पक्षी आश्रय।
- स्मारक पौधों का रोपण।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए:

- गाँवों में पहाड़ी/बंजर भूमि पर वृक्षारोपण एव विकास।
- पहाड़/क्षेत्र का आवंटन।
- जमीन का विकास/बाड़ लगाना।
- नलकूप/सिंचाई स्रोत।
- तरु (पेड़) के चयनित माता–पिता की सहायता से 'तरु पुत्र यज्ञ' का उत्सव मनाना।

चित्र 10: उन्नत भारत अभियान – सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलोजी, सूरत **(SVNIT)** द्वारा वृक्षारोपण।

(ख) बाल संस्कार शाला/सप्ताहांत योग

- 6 से 13 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सांस्कृतिक और मूल्यों के विकास हेतु रविवार शाम को 2 घंटे की कक्षाएं।
- भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक गौरव के बारे मे जानकारी और इसके माध्यम से दिव्य गुणों का समावेशन।
- भावी पीढ़ी के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण में वृद्धि करना।
- खेल और कहानियों के द्वारा मानवीय/नैतिक मूल्यों, आचारनीति, आध्यात्मिक साधनाओं को सीखना।

चित्र 11: उन्नत भारत अभियान – सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, सूरत **(SVNIT)** द्वारा बाल संस्कार सभा अभियान

(ग) महिला सशक्तीकरण

धार्मिक और सामाजिक मंचों से महिलाओं की उन्नति और सशक्तीकरण, सामाजिक पुनर्निमाण कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग रहा है। सामाजिक मंच से महिलाओं के गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए इसके द्वारा की गई पहलें सबसे उल्लेखनीय रहीं हैं। हिन्दू समाज में महिलाओं को मध्यकाल से ही घूँघट में रखा जाता था। अब हम सैकडों महिला पुजारियों को वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए देख सकते हैं जो सभी प्रकार के वैदिक धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन कर रही हैं और हजारों पुरुषों और महिलाओं का मार्गदर्शन कर रही हैं। यही नहीं, वे मिशन की कई सामाजिक सुधार गतिविधियों का भी नेतृत्व कर रही हैं।

यहाँ, समाज के आधे हिस्से को अपनी भूमिका अधिक दक्षता और प्रभावी रूप से निभाने के लिए महिलाओं की शैक्षिक और सांस्कृतिक उन्नति को प्रोत्साहन दिया जाता है। मिशन के आत्म–निर्भर विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत कई स्व–रोजगार योजनायें महिला उन्मुखी हैं।

चित्र 12: उन्नत भारत अभियान – सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, सूरत **(SVNIT) -** महिलाओं की उन्नति एवं सशक्तीकरण **(V)**

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद (IITH)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद, अपने प्रारम्भ से ही, ग्रामीण भारत के विकास में सक्रियता से कार्यरत है। 'उन्नत भारत अभियान' की गतिविधियों के एक भाग के रूप में सन् 2014 में सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्टों के आधार पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद, ने तीन अति पिछड़े गाँवों – उत्तरापल्ली और आलियाबाद गाँव (जिला – मेडक) और रंगारेड्डी गुडा गाँव (जिला – महबूब नगर) का चयन किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद, ने संभावित भूजल क्षेत्रों का प्रतिचित्रण करने और पुनर्भरण क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक जलीय–भूगर्भीय सर्वेक्षण किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, TVWS प्रौद्यौगिकी के प्रयोग से आसपास के ग्रामीण स्कूलों में ब्राडबैंड संबद्धता प्रदान कर रहा है।

कुछ अन्य गतिविधियाँ

पेयजल नमूना जाँच

- विभिन्न नलकूपों के भूजल के नमूनों की जाँच की गई।
- नमूनों में पेयजल मानकों के स्वीकृत स्तर से अधिक 6–1.8 ppm के बीच क्लोराइड विद्यमान पाया गया।
- सुझाव दिया गया कि पीने के लिए इस पानी का उपयोग बन्द करें।

बैंडविड्थ संयोजकता

- 24 dBm पर TVWS संचरण के लिए अप्रयुक्त 8 MHz चैनलों सहित TVWS प्रौद्यौगिकी के प्रयोग से आसपास के ग्रामीण स्कूलों में ब्राडबैंड संयोजकता।
- स्कूल को करीब 7 Mbps (जो कि शहरों के स्कूलों में भी शायद उपलब्ध न हों) बैंडविड्थ संयोजकता प्राप्त हो रही है।

निशुल्क ट्यूशन कक्षाएं

- स्वयंसेवक छात्रों सहित संकाय गाँवों में प्राइमरी और उच्चतर स्तर पर विभिन्न विषयों को पढ़ा रहे हैं।

प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एवं हस्तक्षेप में छात्र सहभागिता

- बी.टेक. छात्र नियमित रूप से गाँव में जाते हैं और अपने IDP के लिए परियोजना का चयन करते हैं जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद, में एक क्रेडिट का स्वतंत्र परियोजना पाठ्यक्रम है।
- सौर पैनल और पुनः आवेशन बैटरियों द्वारा संचालित LEDs के प्रयोग से बहुत छोटे स्तर पर संकल्पना को सफलतापूर्वक सिद्ध किया गया। सर्किट के डिजायन का कार्य प्रगति पर है।

सौर प्रकाश पर प्रशिक्षण

- स्ट्रीट लाइट पोस्टों पर स्थापित किए जाने वाले सौर पैनलों को मोबाइल चार्जर के रूप में कार्य करने के लिए भी डिजायन किया जा रहा है।
- एक नमूना (प्रोटोटाइप) विकसित करने के पश्चात योजना बनाई गई कि गाँव में बिजली कारीगरों और सौर लैम्प पोस्टों के लिए आवश्यक सर्किट बनाने के कार्य के लिए स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाए ताकि आसपास के गाँव व शहर भी इस प्रौद्योगिकी को अंगीकार कर सकें।

दूर–दराज के स्कूल में तैनात CPE

1. उथारपल्ली स्कूल – 7.8 किलोमीटर दूर
2. मल्लापल्ली स्कूल – 8.6 किलोमीटर दूर
3. चार और स्कूलों में तैनाती चल रही है।

ब्रॉडबैंड संबद्धता वाला PC उत्तारपल्ली स्कूल को सौंप दिया गया है।

TRAI प्रतिनिधियों का स्थल का दौरा – उथारपल्ली स्कूल

चित्र 13 : दूर–दराज के स्कूल में भारतीय प्रौद्योगिकी सस्थान हैदराबाद की पहल

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद, ने आधाररेखा सर्वेक्षण, घरेलू और ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण, पूरा कर लिया है और ग्राम विकास योजना (VDP) के विकास की ओर प्राथमिक कदम के रूप में आगे के विश्लेषण हेतु आँकड़ों को वेबसाइट में अपलोड कर दिया है। वेब डाटा विश्लेषण रिपोर्ट संरूप उन्नत भारत अभियान की वेबसाइट के होम पेज पर रिपोर्टिंग पोर्टल के अन्तर्गत अपने संस्थान के पेज पर उपलब्ध है। दूसरे चरण के रूप में उन्नत भारत अभियान के अन्तर्गत अंगीकृत प्रत्येक गाँव के लिए VDP विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने अंगीकृत गाँव के लिए DGPS सर्वेक्षण किए हैं और GIS संरूप में स्थानिक और गैर स्थानिक सूचना सुव्यवस्थित की है।

एक गाँव अपने विकास कार्य का नेतृत्व करे और अपनी संपोषण करने की क्षमता बनाए रखे, ऐसा देखना वहुत ही प्रसन्नता का विषय है, इसलिए असीम संभावना एवं क्षमताओं वाले युवाओं को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना हमारा उद्देश्य है।

- अध्ययन क्षेत्र के भूजल की संभाव्यता औरपुनर्भरण क्षेत्रों सम्बन्धी आंकलन के लिए प्रतिरोधकता वितरण (क्षितिजाकार और ऊर्ध्वाधर, दोनों दिशाओं में) की एक भूगर्भीय व्याख्या की गई। अंगीकृत गाँवों के नलकूपों से एकत्रित भूजल नमूनों की गुणवत्ता का विश्लेषण करने पर अधिकांश गाँवों के नमूनों में पेयजल मानकों के स्वीकृत स्तर से कहीं अधिक फ्लुओराइड पाया गया। मिट्टी में पोषक तत्त्वों की उपस्थिति को जानने और उपयुक्त फसल का सुझाव देने के लिए जांच करने के लिए विभिन्न कृषि मैदानों से मिट्टी के नमूने लिए गए।

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद, के संकाय के साथ बी.टेक. छात्र नियमित रूप से गाँवों में जा रहे है। वे अपने IDP के लिए परियोजना का चयन करते हैं जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद, में एक क्रेडिट का स्वतंत्र परियोजना पाठ्यक्रम है। उन्होंने सौर पैनल और पुनः आवेशित बैटरियों द्वारा संचालित LEDs के प्रयोग से बहुत छोटे स्तर पर संकल्पना को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है। परीक्षण के उद्देश्य से 24W CFL लैम्प खरीदने और उपयुक्त श्रेणी के सौर पैनल और पुनः आवेशित बैटरियों को खरीदने की योजना है। यह सब लागत कम करने की दृष्टि से किया जा रहा है। परिपथिकी (Circuitry) के डिजायन का कार्य प्रगति पर है। गाँव में सौर स्ट्रीट लैम्पों के लिए आवश्यक परिपथिकों के सज्जीकरण के काम में ग्रामीण महिलाओं को लगाने और इस प्रयास हेतु हर संभव मात्रा में निधि प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करना चाहेंगे।

- गाँव की स्वच्छता के संदर्भ में, ग्राम पंचायत, प्रत्येक घर और सार्वजनिक/निजी संस्थान, 100% के पास जलयुक्त स्वच्छ शौचालय हैं। ग्रामवासी इस उपलब्धि और उत्तरदायित्व को संजो कर रखे हुए हैं और आदर्श ग्राम बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

चित्र 14: जिला कलेक्टर द्वारा खुले में शौच मुक्त **(ODF)** स्थिति का निरीक्षण, सत्यापन एव मान्यकरण।

(VI) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (भा.प्रौ.सं., कानपुर)

'उन्नत भारत अभियान' में 50 से अधिक स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं का समूह (Pool) है, जो अपना समय गाँव के विकास में लगा रहा है। इसमें संकाय, स्टाफ, छात्र और परिसर निवासी भी सम्मिलित हैं। भा.प्रौ.सं., कानपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), उन्नत भारत अभियान के साथ निकट रूप से कार्य कर रही है। यह विभिन्न विद्याशाखाओं से प्रथम वर्ष के 80 छात्रों को लाती है।

अपशिष्ट प्रबन्धन के क्षेत्र मे उन्नत भारत अभियान के साथ छात्र नेतृत्व में सामाजिक ऊष्मायित्र (incubator) भी लगा हुआ है। कानपुर का 'परिवर्तन फोरम', उन्नत भारत अभियान का भागीदार है और गाँवों की स्वच्छता में पूर्ण सहायता प्रदान कर रहा है।

प्रवेश स्तर की गतिविधि

उन्नत भारत अभियान–भा.प्रौ.सं. कानपुर ने जिला प्रशासन के साथ बैठक कर और गाँव में एक बड़े स्वच्छता अभियान के साथ गतिविधियाँ प्रारम्भ कर दी हैं।

चित्र 15: वैकंठपुर गाँव में 13 जुलाई, 2017 को उन्नत भारत अभियान – भा.प्रौ.सं. कानपुर दल के साथ **DM** (जिला मजिस्ट्रेट), **CDO, DPRO,** ब लॉक विकास अधिकारी का संबोधन

उन्नत भारत अभियान का कानपुर परिवर्तन मच के साथ बड़ा साफ–सफाई अभियान

चित्र 16: – भा.प्रौ.सं कानपुर दल, कानपुर परिवर्तन मंच की सहायता से बैकुंठपुर में 30 जुलाई, 2017 को बडे साफ–सफाई अभियान में

स्वच्छता अभियान

जुलाई 2017 में लगभग 60 प्रतिशत गाँव खुले में शौच कर रहे थे। इस विषय में विभिन्न समूहों के साथ विचार–विमर्श किया गया और तत्पश्चात् कार्रवाई शुरू की गई। निधि के अंतरण में देरी को दूर करने के लिए ग्रामवासियों और ब्लाक पदाधिकारियों के साथ बैठकें की गईं। प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पंचायत घर में आवेदनों की सूची बनाई गई।

बैकुंठपर गाँव के बच्चों, भा.प्रौ.सं. कानपुर के छात्रों और कानपुर परिवर्तन मंच और ग्रामवासियों के संयुक्त प्रयासों से स्वच्छता रैलियों के माध्यम से स्वच्छता और साफ–सफाई के बारे में जानकारी बढ़ाई गई। 'स्वच्छ गाँव' के विषय पर प्रश्नोत्तरी

एवं वाद–विवाद आयोजित किए गए। कला एवं शिल्प कार्य, नुक्कड़ नाटक, संगीत एवं नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 7–8 स्कूलों ने सहभागिता की।

'स्वच्छ भारत अभियान' विषय पर प्रश्नोत्तरी एव निबन्ध लेखन प्रतियोगिता

भा.प्रौ.सं. कानपुर के 7 छात्रों के दल ने गाँव की स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचना देने पर एक सप्ताह की अवधि की गतिविधियाँ आयोजित कीं।

भा.प्रौ.सं. कानपुर नृत्य क्लब द्वारा नुक्कड़ नाटक

'स्वच्छता' पर नृत्य क्लब के साथ उन्नत भारत अभियान दल ने एक मनोरम प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन 26 नवम्बर, 2017 को कानपुर के प्रसिद्द "बड़ा चौराहा" पर ही किया गया। नृत्य क्लब के वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन में उन्नत भारत अभियान के 12 छात्रों ने नुक्कड नाटक पर काम किया।

गोबर और बागवानी अपशिष्ट से द्रुत कम्पोस्ट खाद बनाने पर प्रदर्शन

उन्नत भारत अभियान ने 2 अक्टूबर, 2017 को श्री मेवालाल के नेतृत्व में `मुस्कान ज्योति' दल को, किसानों कों बागवानी अपशिष्ट पद्धति से गोबर कम्पोस्ट और ड्रम खाद बनाने पर प्रदर्शन देने के लिए आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक पदाधिकारियों के साथ–साथ बड़ी संख्या में निकट गाँव के प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। पाँच किसानों – सर्व श्री रोहित त्रिवेदी, भोला तिवारी, मैकू लाल, शिव नारायण कुशवाहा, और बाले शंकर कुशवाहा ने कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए प्रारम्भिक प्रक्रिया (pilot run) पूरी की और सन्तोष व्यक्त किया। कम्पोस्ट 40 दिनों में तैयार हुई और इसे खेतों में डाला गया।

चित्र 17: गोबर और वागवानी अपशिष्टों से तेजी से कम्पोस्ट खाद बनाना

उन्नत भारत अभियान के नोडल अधिकारी

उन्नत भारत अभियान के राष्ट्रीय समंवयक,	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से उन्नत भारत अभियान के नोडल अधिकारी
प्रो. वीरेन्द्र कुमार विजय **अध्यक्ष** ग्रामीण विकास एव प्रौद्योगिकी केन्द्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली हौज खास, नई दिल्ली–110 016 ईमेल:**vkvijay@rdat.iitd.ac.in** **unnatbhartabhiyaniitd@gmail.com** दूरभाषः+ 91–11–26596451, 26591121, 26591157 फैक्स : **+91 11 26591121** वेबसाइट : **http://unnatbharatabhiyan.gov.in/**	**डा. एन श्रवणन कुमार, भा.प्र.से.** **संयुक्त सचिव** मानव संसाधन विकास मत्रालय **III-C,** शास्त्री भवन नई दिल्ली–110 001 ईमेल–**saravan.kumar@gov.in** दूरभाषः (का.)**+91-11-23071486** फैक्स **+91-11-23071487**

संलग्नक I

कार्यालय ज्ञापन

File No. 3-1/2016-UBA
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
UBA Cell

Shastri Bhavan, New Delhi
20th Feb 2018

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Unnat Bharat Abhiyan Programme of Government of India

This to convey the approval of Government for implementation of the Unnat Bharat Abhiyan (UBA), aimed to connect the higher educational institutions to the villages around, at a total cost of Rs.83.08 Cr. The scheme shall be implemented through the selected higher educational institutions which adopt villages and through knowledge transfer, would bring overall growth in the rural communities.

Objectives

2. The following are the objectives of UBA:
   a) To engage the faculty and students of Higher Educational Institutions (HEIs) in understanding rural realities.
   b) Identify & select existing innovative technologies, enable customisation of technologies, or devise implementation method for innovative solutions, as required by the people.
   c) To allow HEIs to contribute to devising systems for smooth implementation of various Govt programmes.

3. Strategy

a) The HEIs will be selected through a challenge method, from both technical and on-technical streams, based on parameters such as – history of engagement with rural communities, adequate faculty, and commitment to the programme objectives.
b) The selected institutions will work with State Govt, district authorities / PRIs / other institutions and nongovernmental bodies, for arriving at suitable and solutions for improving the social and economic well-being of the rural communities.
c) The selected HEIs shall meet from their own resources all expenses for the field visits, and any other expense that is not specifically funded under the scheme.
d) Where technological solution is to be developed or customized to the local requirements, a small grant would be available under the scheme, as recommended by Subject Expert Groups.
e) Institutions are expected to do field studies, study the implementation of Govt schemes, and facilitate their better implementation so that they meet their objectives best.

4. Selection of Institutions:

The following is proposed to be the number of institutions selected for UBA programme in the next three years:

Page 1 of 4

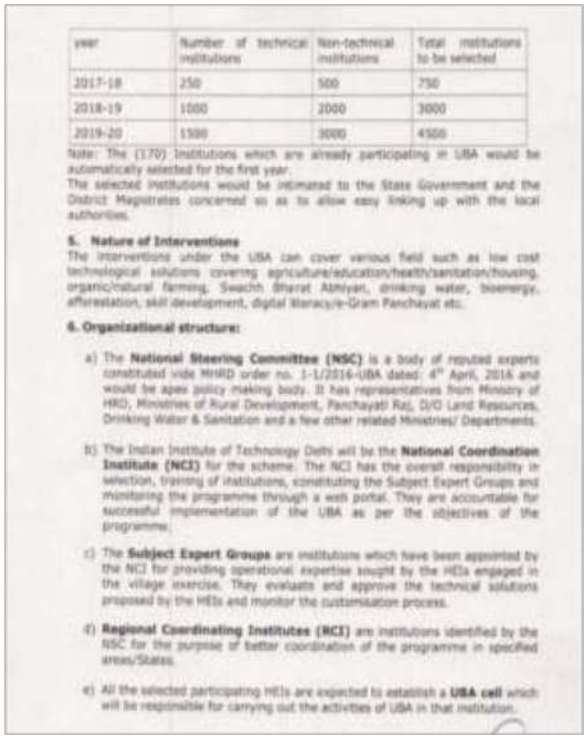

year	Number of technical institutions	Non-technical institutions	Total institutions to be selected
2017-18	250	500	750
2018-19	1000	2000	3000
2019-20	1500	3000	4500

Note: The (170) Institutions which are already participating in UBA would be automatically selected for the first year.

The selected institutions would be intimated to the State Government and the District Magistrates concerned so as to allow easy linking up with the local authorities.

5. Nature of Interventions

The interventions under the UBA can cover various field such as low cost technological solutions covering agriculture/education/health/sanitation/housing, organic/natural farming, Swachh Bharat Abhiyan, drinking water, bioenergy, afforestation, skill development, digital literacy/e-Gram Panchayat etc.

6. Organizational structure:

a) The **National Steering Committee (NSC)** is a body of reputed experts constituted vide MHRD order no. 1-1/2016-UBA dated: 4th April, 2016 and would be apex policy making body. It has representatives from Ministry of HRD, Ministries of Rural Development, Panchayati Raj, D/O Land Resources, Drinking Water & Sanitation and a few other related Ministries/ Departments.

b) The Indian Institute of Technology Delhi will be the **National Coordination Institute (NCI)** for the scheme. The NCI has the overall responsibility in selection, training of institutions, constituting the Subject Expert Groups and monitoring the programme through a web portal. They are accountable for successful implementation of the UBA as per the objectives of the programme.

c) The **Subject Expert Groups** are institutions which have been appointed by the NCI for providing operational expertise sought by the HEIs engaged in the village exercise. They evaluate and approve the technical solutions proposed by the HEIs and monitor the customisation process.

d) **Regional Coordinating Institutes (RCI)** are institutions identified by the NSC for the purpose of better coordination of the programme in specified areas/States.

e) All the selected participating HEIs are expected to establish a **UBA cell** which will be responsible for carrying out the activities of UBA in that institution.

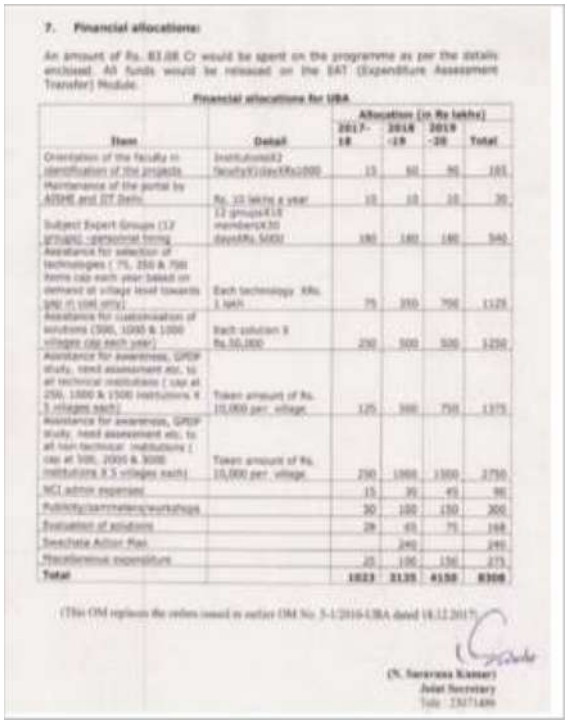

7. Financial allocations:

An amount of Rs. 83.08 Cr would be spent on the programme as per the details enclosed. All funds would be released on the EAT (Expenditure Assessment Transfer) Module.

Financial allocations for UBA

Item	Detail	Allocation (in Rs lakhs) 2017-18	2018-19	2019-20	Total
Orientation of the faculty in identification of the projects	InstitutionsX2 facultyX1dayXRs2000	15	60	90	165
Maintenance of the portal by AISHE and IIT Delhi	Rs. 10 lakhs a year	10	10	10	30
Subject Expert Groups (12 groups) -personnel hiring	12 groupsX15 membersX30 daysXRs.5000	180	180	180	540
Assistance for selection of technologies (75, 350 & 700 items cap each year based on demand at village level towards gap in role only)	Each technology Rs. 1 lakh	75	350	700	1125
Assistance for customisation of solutions (500, 1000 & 1000 villages cap each year)	Each solution X Rs.50,000	250	500	500	1250
Assistance for awareness, GPDP study, need assessment etc. to all technical institutions (cap at 250, 1000 & 1500 institutions X 5 villages each)	Token amount of Rs. 10,000 per village	125	500	750	1375
Assistance for awareness, GPDP study, need assessment etc. to all non-technical institutions (cap at 500, 2000 & 3000 institutions X 5 villages each)	Token amount of Rs. 10,000 per village	250	1000	1500	2750
NCI admin expenses		15	30	45	90
Publicity/seminars/workshops		30	100	150	300
Evaluation of solutions		28	65	75	168
Swachhta Action Plan			240		240
Miscellaneous expenditure		20	100	150	275
Total		**1023**	**3135**	**4150**	**8308**

(This OM replaces the orders issued in earlier OM No. 3-1/2016-UBA dated 18.12.2017)

(N. Saravana Kumar)
Joint Secretary
Tele: 23071496

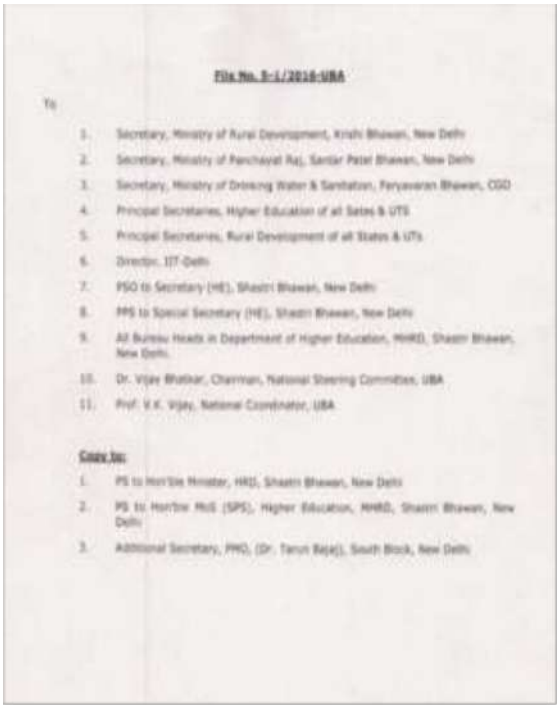

File No. 3-1/2016-UBA

To

1. Secretary, Ministry of Rural Development, Krishi Bhawan, New Delhi
2. Secretary, Ministry of Panchayati Raj, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
3. Secretary, Ministry of Drinking Water & Sanitation, Paryavaran Bhawan, CGO
4. Principal Secretaries, Higher Education of all Satas & UTS
5. Principal Secretaries, Rural Development of all States & UTs
6. Director, IIT-Delhi
7. PSO to Secretary (HE), Shastri Bhawan, New Delhi
8. PPS to Special Secretary (HE), Shastri Bhawan, New Delhi
9. All Bureau Heads in Department of Higher Education, MHRD, Shastri Bhawan, New Delhi.
10. Dr. Vijay Bhatkar, Chairman, National Steering Committee, UBA
11. Prof. V.K. Vijay, National Coordinator, UBA

Copy to:

1. PS to Hon'ble Minister, HRD, Shastri Bhawan, New Delhi
2. PS to Hon'ble MoS (SPS), Higher Education, MHRD, Shastri Bhawan, New Delhi
3. Additional Secretary, PMO, (Dr. Tarun Bajaj), South Block, New Delhi

संलग्नक II

विषय विशेषज्ञ समूहों (SEGs) का विवरण

क्र.स.	विषय	संस्थान	समन्वयक	सम्पर्क
1	सतत् कृषि तंत्र	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	डॉ. जे.पी. शर्मा	Jd_extn@iari.res.in Cell .- 0811721815, (PO)- 011-25842387
2.	ग्रामीण शिल्प एवं कारीगर विकास और ग्रामीण औद्योगीकरण एवं उद्यमिता विकास	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर	डॉ. कौमुदी पाटील प्रो. ए.के. संगल	09935190698 0512-259-7616 0512-597167 (कार्यालय) 0512-591493/598473 kppatil@iitk.ac.in
3.	ग्रामीण ऊर्जा तंत्र	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली	प्रो. पी.एम.वी. सुब्बाराव	0999058533, 011-26591142 pmvs@mech.iitd.ac.in; pmvsiitd@rediffmail.com
4.	जल संसाधन प्रबंधन	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर	डॉ. ब्रजेश कुमार दुबे	bkdubey@civil.iitkgp.ernet.in +91-3222-282874
5.	स्वच्छता एवं ठोस–तरल अपशिष्ट प्रबंधन	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली	प्रो देवेन्द्र जलीहल और प्रो. विवेक कुमार	044-225754750, 044-22574408 dj@ee.iitm.ac.in vivekk@rdat.iitd.ac.in 09412619735
6.	ग्रामीण आधारिक संरचना	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की	प्रो. नवीन कुमार	pkaerfce@iitr.ac.in +91-1332-285470
7.	तकनीकी संस्थानों में लोकाचार	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुम्बई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली	प्रो. मिलिंद सोहोनी और प्रो. एस.के. साहा	(022)- 2576-7729, (R) (022)-2576-8729 sohoni@iitb.ac.in head.ctara@iitb.ac.in 022-25525000 saha@mech.iitd.ac.in sahaiitd@gmail.com Tel (91)-11-2659-1135 (O)
8	विविध सरकारी योजनाओं की ओर अभिमुख होने और कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण कार्यनीति	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद	डॉ. ज्ञानमुद्रा	040-24008406, 09848055881 Gyanmudra.nird.gov.in
9	कौशल विकास, उद्यमिता एवं नवोद्यम	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	प्रो. आर.एस. राठौड़	rsrathore@aicte.india.org
10	वर्तुलाकार सुधार एवं शैक्षिक संस्थानों की सामाजिक प्रतिबद्धता	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	डॉ. (श्रीमती) पंकज मित्तल	Pankajmittal.ugc@nic.in 011-23232055
11	नव प्रवर्तन एवं डिज़ायन शिक्षा	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	डॉ. राकेश तुली	rakeshtuli@hotmail.com 0991535511

संलग्नक III

राष्ट्रीय संचालन समिति

डॉ. विजय पी. भटकर, (पूर्व अध्यक्ष, अभिशासक परिषद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली) - अध्यक्ष

प्रो. वी. रामगोपाल राव (निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली) - सह–अध्यक्ष

प्रो. क्षितिज गुप्ता (प्रतिष्ठित प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली) - सह–अध्यक्ष

डॉ. आर.ए. मशेलकर (पूर्व महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद) – सदस्य

डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे (अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) – सदस्य

श्री गोपाल कृष्ण नायक (निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर) – सदस्य

सुश्री गीता बाली (अध्यक्ष, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल) - सदस्य

प्रो. डी.पी. सिंह, (अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) – सदस्य

डॉ. एन. श्रवण कुमार, संयुक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय – सदस्य

श्री पी.एन. रंजीत कुमार (संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार) – सदस्य

श्री समीर कुमार (आर्थिक सलाहकार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार) – सदस्य

डॉ. बी.एस. नेगी (वैज्ञानिक–जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार) – सदस्य

डॉ. अजय कुमार (सचिव, रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) – सदस्य

श्री एन. शिवासैलम (विशेष सचिव, दूरसंचार विभाग, दूर संचार मंत्रालय, भारत सरकार) – सदस्य

प्रो. राजेन्द्र प्रसाद, सलाहकार, उन्नत भारत अभियान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली – विशेष आमत्रित

प्रो. वीरेन्द्र कुमार विजय, ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली – सदस्य सचिव

संलग्नक IV

आर. सुब्रहमण्यम, भा.प्र.से.
R. Subrahmanyam, I.A.S.
सचिव
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education

D.O.No.5-1/2016-UBA

16.4.2018

Dear District Collector / Magistrate,

Under the Unnat Bharat Abhiyan (UBA), Government proposes to link the Higher Educational Institutions with a set of (5) villages, so that these institutions can contribute to the economic and social betterment of these village communities using their knowledge base. In the first phase of this programme, 750 higher educational institutions have been identified on challenge method based on their track record, ability to undertake rural activities and their readiness for taking up the task.

I am happy to inform that Colleges from your district (as per list enclosed) have been selected after a national level competition for undertaking the UBA program. I am sure under your leadership and guidance, they can make a define positive impact in the villages adopted by them.

In this context, I request you to facilitate linking of these institutions with the Panchayats in the selected villages, so that these institutions can start their village visits early and come up with suitable solutions for improving the overall social and economic well-being. We have asked the institution to connect with you for further facilitation in this regard.

I would be grateful for an early action in this regard.

With regards,

Yours sincerely,

(R. Subrahmanyam)

Encl: 1. List of Districts (233)
2. List of Village-identified institutions (440)

128-C, SHASTRI BHAVAN, NEW DELHI - 110 015
TEL. : 23386451, 23382698, FAX : 23385807, E-mail : subrahyd@gmail.com

संलग्नक v

उन्नत भारत अभियान (UBA) गाँव सर्वेक्षण प्रपत्र

1. मूल सूचना **गाँव की पहचान (ID)**

गाँव का नाम	
गाँव पंचायत	
वार्डों की संख्या	
बस्तियों (हैमलेटों) की संख्या	
ब्लॉक	
जिला	
लेक सभा/निर्वाचन क्षेत्र	
जिला मुख्यालय से दूरी	
गाँव का क्षेत्र (एकड़)	
कृषि योग्य भूमि /कृषि क्षेत्र (एकड़)	
वन क्षेत्र (एकड़)	
आवासन/आबादी क्षेत्र (एकड़)	
जल पिंड के अन्तर्गत क्षेत्र (एकड़)	
समान्य भूमि क्षेत्र (एकड़)	
औसत प्रति व्यक्ति जोत भूमि (एकड़)	
बैंजर भूमि (एकड़)	
भौम जल स्तर (फुट)	

2. गाँव की बुनियादी संरचना एवं मूलभूत सुविधाएँ

गाँव की आधारिक संरचना/ मूलभूत सुविधाएं/सेंवाएं	गाँव में अवस्थित हैं ? हाँ/नहीं	संख्या	किमी. में दूरी, यदि बाहर अवस्थित है
प्राथमिक विद्यालय (सरकारी)			
प्राथमिक विद्यालय (प्राइवेट)			
मिडिल विद्यालय (सरकारी)			
मिडिल विद्यालय (प्राइवेट)			
माध्यामिक विद्यालय (सरकारी)			
माध्यमिक विद्यालय (प्राइवेट)			
आई.टी.आई डिप्लोमा संस्थान (सरकारी)			
आई.टी.आई डिप्लोमा संस्थान (प्राइवेट)			
कालेज (सरकारी)			
कालेज (प्राइवेट)			
बैंक/ATM			
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
सिविल अस्पताल			
स्व सहायता समूह (SHG's)			
गैर सकारी संगठन			
डाकघर			
गैस एजेन्सियाँ			
प्रशिक्षण केन्द्र और और उल्लेख करें कौन–कौन से			
बिजली कार्यालय			
आँगनवाड़ी केन्द्र			
गाँव में पेट्रोल पम्प			
किसान सेवा केन्द्र			
कृषि मंडी			
उचित दर दुकान			
दूध कोआपरेटिव/संग्रह केन्द्र			
रेलवे स्टेशन			
बस स्टॉप			
पशु चिकित्सा देखभाल केन्द्र			
खेदकूल सुविधाएँ/खेल मैदान			
सार्वजनिक स्वच्छता परिसरों की संख्या			

उन्नत भारत अभियान (UBA) गाँव सर्वेक्षण प्रपत्र

3. गाँव की संयोजनता (connectivity) (सड़क)

नजदीकी राजमार्ग/प्रमुख जिला सड़क से गाँव की दूरी (किलोमीटर में)	
क्या गाँव उपर्युक्त से पक्की सड़क से जुड़ी हुई है?	हाँ/नहीं
यदि हाँ, तो एप्रोच रोड/कनेक्टिंग रोड का विवरण 1. सड़क की लम्बाई (किमी.) 2. निर्माण वर्ष 3. किस योजना के अन्तर्गत निर्माण हुआ 4. वर्तमान स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	1. 2. 3. 4.
आन्तरिक सड़कों की लम्बाई (गाँव/बस्तियों के अन्दर)	कच्ची ..... (किमी.), पक्का .....(किमी.) योग .....(किमी.)
परिवहन के लिए उपलब्ध साधन	बस/साझा ऑटो/जीप/अन्य कोई, कृपया उल्लेख करें।
परिवहन के उपलब्ध साधन की आवृत्ति	बारम्बार/बारम्बार नहीं/दिन में किसी समय पर दो बार, अन्य कोई,

4.भूमि, जंगल एवं बागवानी विवरण

जंगल के प्रकार आरक्षित/संरक्षित/खुले		
सामुदायिक जंगल (एकड़)		
सरकारी जंगल (एकड़)		
जंगल के मुख्य पेड़ और झाड़ियों की प्रजातियाँ		
ऊर्जा वृक्षारोपण (यदि हाँ, तो कौन सी प्रजातियाँ और क्षेत्र) (शीर्ष तीन)	प्रजातियाँ	क्षेत्र (एकड़)

5. गाँव की सामान्य बिजली की जरूरत

क्र.स.	समुदायिक स्थान	*बिजली के उपकरण (संख्या सहित कोड नम्बर लिखें)	कार्य अवधि/दिन (घंटो की संख्या सहित उपकरण का कोड नम्बर भी
1.	पंचायत कार्यालय	1(4), 2(2), 3(1) .....(नमूना)	1(8), 2(4), 3(5) .....(नमूना)
2.	डिस्पेन्सरी		
3.	समुदायिक हॉल		
4.	सड़क की प्रकाश व्यवस्था		
5.	घर्मशाला		
6.	सामाजिक संगठन (युवा/महिला क्लब)		
7	प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र		
8	अन्य		

बिजली के उपकरण: 1. CFL/LED बल्ब/ट्यूब लाइट (20 वाट) 2. फैन (70 वाट) 3. डेजर्ट कूलर (150 वाट) 4 टी.वी. (150 वाट), 5. रेफ्रिजरेटर (220 वाट), 6. म्यूजिक सिस्टम (100 वाट), बिजली का मोटर पम्प (750 वाट), 8. हीटर (1000 वाट), 9. बिजली की इस्तरी (1000 वाट), 10. एयर कंडीशनर ।

टिप्पणी, यदि कोई हो:

सर्वेक्षक (नाम और हस्ताक्षर) | प्रत्यर्थी (नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर) | सर्वेक्षण की तारीख

संलग्नक VI
उन्नत भारत अभियान (UBA) आधाररेखा घरेलू सर्वेक्षण प्रपत्र

गाँव: _____ ग्राम पंचायत : _____

वार्ड नं. _____ ब्लाक : _____

जिला: _____ राज्य _____

1. प्रत्यर्थी का प्रोफाइल (विवरण):

नाम	लिंग: पुरुष/महिला/अन्य	आयु (वर्ष)
घर के मुखिया के संबंध	संपर्क नम्बर:	
परिचय पत्र का प्रकार	परिचय पत्र संख्या:	

2.सामान्य घरेलू सूचना (उपयुक्त विकल्प पर टिक करें):

घर की आई.डी..		घर के मुखिया का नाम	पुरुष/महिला
श्रेणी: सामान्य/अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व.		गरीबी की स्थिति:	गरीबी रेखा से ऊपर गरीबी रेखा से नीचे
अपना घर: हाँ/नहीं	घर का प्रकार: कच्चा/आंशिक पक्का/ पक्का/घर विहीन	शौचालय: निजी/ सामुदायिक/खुले में शौच	जल निकास तंत्र (नाली) घर से जुड़ा: ढका है/खुला है/ सामुदायिक है/कोई नहीं
अपशिष्ट संग्रह तंत्र: दरवाजे पर/साझे स्थल पर/ कोई संग्रह प्रणाली नहीं है		कम्पोस्ट गड्ढा: निजी/सामूहिक/कोई नहीं	बायोगैस संयंत्र: निजी/सामूहिक/सामुदायिक/ कोई नहीं
सभी स्रोतों से वार्षिक आय (लगभग): रुपए			

3. परिवार के सदस्यों की सूचना (कृपया उपयुक्त विकल्प भरें)

नाम (परिवार के सदस्य)	आयु (वर्ष)	लिंग पु/म/ अन्य	वैवाहिक स्थिति कोड[1]	शिक्षा का स्तर कोड[2]	AWC/स्कूल/ कालेज जा रहे है कोड[3]	आधार कार्ड है/नहीं	बैंक खाता है/नहीं	कंप्यूटर साक्षरता है/नहीं	सामाजिक सुरक्षा पेंशन[4]	स्वास्थ्य संबंधी बडी बीमारियाँ, यदि कोई है	Mnrega जाब कार्ड हाँ/नहीं	स्वसहायता समूह,जिसमें हैं उस पर निशान लगाएं	व्यवसाय कोड[5]

4. परिवार में प्रवास की स्थिति:

क्या घर का कोई सदस्य काम के लिए बाहर (प्रवास) जाता है?	हाँ / नहीं
यदि हाँ, तो परिवार के कितने सदस्य (प्रवास) गए हैं?	
परिवार कतने दिनों/महीनों के लिए बाहर (प्रवास) जाता है ?	
कितने वर्षों से बाहर जा रहे हैं (प्रवास हो रहा है)	हाँ / नहीं

[1] अविवाहित –1, विवाहित –2 , विधवा –3, तलाकशुदा/पृथकित्र.–4

[2] निरक्षर–.01, साक्षर–02, पाँचवीं पास–03, आठवीं पास–04, दसवीं पास–05, बारहवीं पास–06, आई.टी.आई डिप्लोमा–07, ग्रेजुएट–08, पोस्ट ग्रेजुएट/व्यावसायिक–09 (कृपया अपनी उच्चतम योग्यता लिखें)

[3] AWC जा रहे हैं–01, स्कूल–02, कालेज –03, न जाने वाले –04, लागू नहीं होता – 05 (कृपया आप पर लागू उच्चतम स्तर लिखें)

[4] कोई पेंशन नहीं –0, वृद्धा अवस्था पेंशन –1, विधवा पेंशन – 2, विकलांगता पेंशन – 3, अन्य पेंशन – 4 (कृपया उल्लेख करें)

[5] सामान्य श्रेणी –01, अनुसूचित जाति – 02, अनुसूचित जनजाति – 03, अन्य पिछड़ा वर्ग – 04

[6] अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं – 01, बँटाईदारी/पट्टे की जमीन पर खेती कर रहे हैं – 02, पशुपालन – 03, मत्स्य पालन/मुर्गी पालन – 04, मत्स्य ग्रहण – 05, कुशल वेतन कामगार – 06, अकुशल वेतन कामगार – 07, सरकार में वेतनभोगी रोजगार –08, निजी क्षेत्र में वेतनभोगी रोजगार –09, बुनाई – 10, अन्य शिल्पकार (उल्लेख करें) – 11

उन्नत भारत अभियान (UBA) आधारभूत घरेलू सर्वेक्षण

5. सरकारी योजनाओं की सूचना

क्र स	नाम	लाभान्वित व्यक्ति (संख्या में)
1	प्रधानमंत्री जन धन योजना	
2	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	
4	सुकन्या समृद्धि योजना	
5	मुद्रा योजना	
6	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	
7	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	
8	अटल पेंशन योजना	
9	फसल बीमा योजना	
10	कौशल विकास योजना	
11	कृषि सिंचाई योजना	
12	जन औषधि योजना	
13	स्वच्छ भारत मिशन शौचालय	
14	मृदा (soil) स्वास्थ्य कार्ड	
15	लाडली लक्ष्मी योजना	
16	जननी सुरक्षा योजना	
17	किसान क्रेडिट कार्ड	

6. जल स्रोत (स्रोत से किलोमीटर में दूरी)

जल स्रोत		दूरी
घर पर नल से पानी	हाँ/नहीं	
समुदायिक पानी की टोंटी	हाँ/नहीं	
हैंड पम्प (सार्वजनिक/निजी)	हाँ/नहीं	
खुला कुआँ (सार्वजनिक/निजी)	हाँ/नहीं	
पानी के भंडारण का तरीका (सामुदायिक/निजी)		
अन्य कोई स्रोत		

7. ऊर्जा और पावर के स्रोत (उपयुक्त पर निशान लगाएं)

घर में बिजली का कनेक्शन हाँ/नहीं

प्रतिदिन बिजली की उपलब्धता (घंटे)

प्रकाश व्यवस्था: बिजली/मिट्टी का तेल/सौर पावर

यदि अन्य कोई हो, तो उल्लेख करें: ——————

खाना बनाने के लिए : एल.पी.जी./बायोगैस/मिट्टी का तेल/लकड़ी/गोबर के उपले/कृषि अवशेष/बिजली

यदि अन्य कोई हो, तो उल्लेख करें: ——————

यदि चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है तो : सामान्य/धुआँ रहित

क्र.सं.	उपकरण	संख्या	अवधि/दिन (घंटे)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

8 भूमि की जानकारी (एकड़ में)

1	कुल			2	खेती योग्य क्षेत्र	
3	सिंचित क्षेत्र			4	असिंचित क्षेत्र	
5	बंजर/पड़ती भूमि क्षेत्र			6	कृषि हेतु अयोग्य क्षेत्र	

9. कृषि आदान (इनपुट)

विवरण	उपयुक्त विकल्प पर निशान लगाएं	यदि हाँ, उर्वरक का उपयोग (किलो/एकड़)
क्या आप रासायनिक उपर्वरक इस्तेमाल करते हैं?	हाँ/नहीं	
क्या आप रासायनिक कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं?	हाँ/नहीं	
क्या आप रासायनिक वीडिसाइड इस्तेमाल करते हैं?	हाँ/नहीं	
क्या आप कार्बनिक खाद इस्तेमाल करते हैं?	हाँ/नहीं	
सिंचाई: नहर/टैंक/नलकूप/नदी/बोरवेल/कोई नहीं		
सिंचाई तंत्र: टपकन/छींटे डालना/बाढ़/कोई नहीं		

10 सामान्य वर्ष में कृषि उपज (शीर्ष 5)

क्र.सं.	फसल	पिछले वर्ष का फसल उत्पादन क्षेत्र	उत्पादकता (प्रति एकड़ कुन्तल में)
1			
2			
3			
4			
5			

11. पशुधन की संख्या (संख्या में)

गाय:	भैंस:	बकरी/भेड़:
बछड़े:	बैल:	मुर्गियाँ/बतख:
अन्य (उल्लेख करें) :		
पशुधन के लिए आश्रय : पक्का/कच्चा/खुला		
दूध का औसत उत्पादन (लीटर में)		
पशु अवशेष (उपले) (किलो में)		

12 गाँव में प्रमुख समस्यायें, यदि कोई है (शीर्ष तीन)

समस्याएं	ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत संभावित सुझाव

..... द्वारा अनुसूची भर दी गई है (नाम और हस्ताक्षर)

सर्वेक्षण की तारीख:

संलग्नक VII

क्षेत्रीय समंवयक संस्थान – प्रस्तावित सूची

1.	आई.आई.टी, कानपुर
2.	आई.आई.टी, बी.एच.यू
3.	दयाल बाग़ शिक्षण संस्थान, आगरा
4.	एन.आई.टी.टी.टी.आर, चंडीगढ़
5.	एन.आई.टी, हमीरपुर
6.	आई.आई.टी, रुड़की
7.	एन.आई.टी, श्रीनगर
8.	एन.आई.टी, कुरुक्षेत्र
9.	एन.आई.आर.डी एवं पी.आर, हैदराबाद
10.	एम.जी.एन.सी.आर.ई, हैदराबाद
11.	एन.आई.टी, वारंगल
12.	आंध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम
13.	एस.वी.वी.यू , तिरुपति
14.	आई.आई.टी, मद्रास
15.	ग्राँधीग्राम ग्रामीण संस्थान, डिण्डिगुल, तमिलनाडु
16.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
17.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, लक्षद्वीप
18.	आई.आई.एस.ई.आर, तिरुवनंतपुरम
19.	आई.आई.एस.सी, बंगलौर
20.	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़
21.	आई.आई.टी, मुंबई
22.	बी.ए.एम.यू , औरंगाबाद
23.	एस.जी.बी.ए.यू., अमरावती
24.	आई.आई.टी, जोधपुर
25.	एम.एन.आई.टी, जयपुर

26.	एम.पी.यू.ए.टी, उदयपुर
27.	एस.जी.एस.आई.टी, इंदौर
28.	एम.ए.एन.आई.टी, भोपाल
29.	.एन.आई.टी, रायपुर
30.	एस.वी.एन.आई.टी, सूरत
31.	आई.आई.टी, गांधीनगर
32.	आई.आई.टी, खड़गपुर
33.	.एन.आई.टी, दुर्गापुर
34.	.एन.आई.टी, जमशेदपुर
35.	.एन.आई.टी, राउरकेला
36.	आई.आई.टी, गुवाहटी
37.	.एन.आई.टी, मणिपुर
38.	.एन.आई.टी, अगरतला
39.	एन.ई.आर.आई.एस.टी , अरुणाचल प्रदेश
40.	.एन.आई.टी, पटना

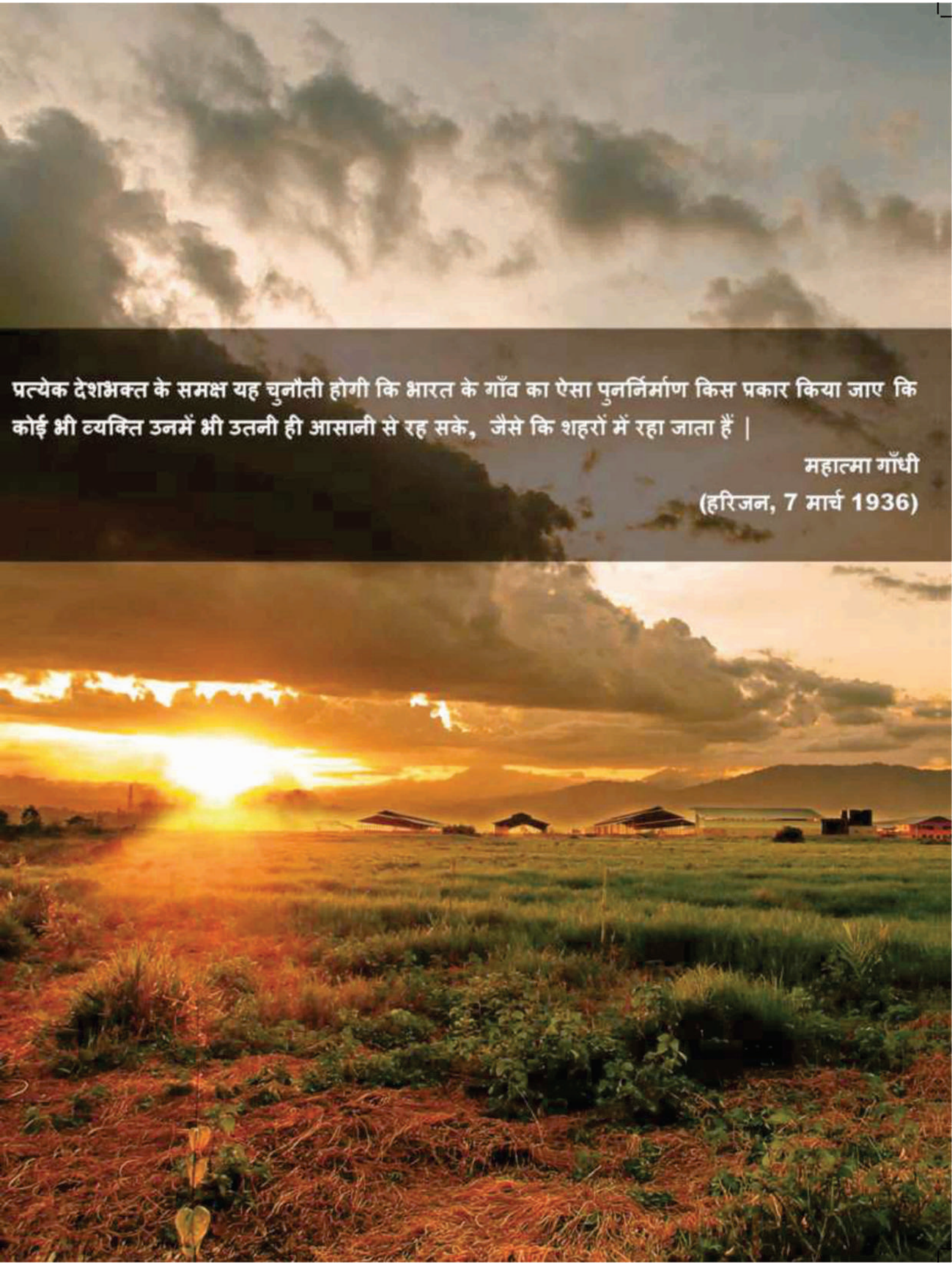

प्रत्येक देशभक्त के समक्ष यह चुनौती होगी कि भारत के गाँव का ऐसा पुनर्निर्माण किस प्रकार किया जाए कि कोई भी व्यक्ति उनमें भी उतनी ही आसानी से रह सके, जैसे कि शहरों में रहा जाता हैं |

महात्मा गाँधी

(हरिजन, 7 मार्च 1936)

भारत की आत्मा का वास इसके गाँवों में है

राष्ट्रीय समंवयक संस्थान
उन्नत भारत अभियान

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
हौज़ खास, नई दिल्ली–110 016
ई–मेल : unnatbharatabhiyan@gmail.com
फोन : +911126596451, 26591121, 26591157
फैक्स : +91 11 26591121
वेबसाइट : unnatbharatabhiyan.gov.in